[2021] 3 एस. सी. आर. 639

रैपिड मेट्रो गुरगांव लिमिटेड ई. टी. सी.

वी.

हरियाणा सामूहिक बलात्कार परिवहन निगम

सीमित और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 925-926 2021 का)

26 मार्च, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, एम आर शाह और

संजीव खन्ना, जे. जे.]

भारत का संविधानः कला. 226 - दो कंपनियों को रियायत समझौते का रिट पुरस्कार जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति

आर. एम. जी. एल. और आर. एम. एस. जी. एल. द्वारा क्रमशः हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-एच. एस. वी. पी. द्वारा मेट्रो रेल विकसित करने के लिए-इस बीच हरियाणा राज्य द्वारा निर्देश दिया गया है कि सभी मेट्रो परियोजनाओं को पहले प्रतिवादी द्वारा संभाला जाएगा-इसके बाद, द्वारा समाप्ति नोटिस जारी किया जाएगा

आर. एम. जी. एल. और आर. एम. एस. जी. एल. ने एच. एस. वी. पी. को रियायत समझौते को समाप्त करने के 90 दिनों की समाप्ति के बाद, एच. एस. वी. पी. ने आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. को अपने समाप्ति नोटिस जारी किए, जिसमें उन्हें परियोजनाओं को एच. एम. आर. टी. सी. को सौंपने का निर्देश दिया गया-हालाँकि, चूंकि आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. लाल श्रेणी में वर्गीकृत एक समूह की संस्थाएं थीं, इसलिए उन्हें किसी भी संपत्ति को स्थानांतरित करने या बोझ डालने से पहले मंजूरी लेनी थी-इसके बाद, आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. को समझौते की समाप्ति के अनुसार एच. एस. वी. पी. को मेट्रो परियोजना का कब्जा और नियंत्रण सौंपने की अनुमति दी गई।

उसी दिन, रिट याचिका यू/आर्ट। 226 एच. एस. वी. पी. और एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा समाप्ति के नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह जनहित के खिलाफ था-उच्च न्यायालय ने मेट्रो परियोजना के संचालन को 30 दिनों के लिए जारी रखने के लिए अंतरिम निर्देश दिया, जिसे आगे बढ़ाया गया और जिसके दौरान रियायत समझौतों के संदर्भ में वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत देय ऋण लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाना था और फिर एच. एस. वी. पी. को रियायत के संदर्भ में एस्क्रो खाते में निर्धारित बकाया ऋण का 80 प्रतिशत जमा करना था।

समझौता, जो एन. सी. एल. ए. टी. या किसी अन्य अदालत के आदेश के अधीन होगा-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकारिता का प्रयोग यू/आर्ट। 226 गैर-हस्तक्षेप के रूप में उचित था, जो अनिवार्य रूप से तेजी से मेट्रो लाइनों के व्यवधान का कारण बनता

गुड़गांव के आम जनता के लिए विनाशकारी परिणाम होते-हालाँकि, आम तौर पर उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में यू /

कला. 226 उच्च न्यायालय के सहमति आदेश में निहित निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि सीएजी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा दल को देय ऋण का वित्तीय लेखा परीक्षण करना था और लेखा परीक्षा के दायरे की जांच करनी थी, लेखा परीक्षा 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी थी और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर जमा किए जाने वाले ऋण का 80 प्रतिशत; और लेखा परीक्षा रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच शेष विवादों को मध्यस्थता में उत्तेजित किया जाना था-एचएसपीवी और एचएमआरटीसी उच्च न्यायालय के सहमति आदेश के अनुपालन से बच नहीं सके क्योंकि वे स्वेच्छा से लेखा परीक्षक के निष्कर्षों के अनुसार देय ऋण का 80 प्रतिशत भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे-एचएसपीवी को 80 प्रतिशत राशि के भीतर जमा करने के लिए। प्राधिकरण-एक ओर आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. और दूसरी ओर एच. एस. वी. पी. को मध्यस्थता खंड के अनुसरण में अपने अधिकारों और उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते के अनुच्छेद 1 में 'देय ऋण' शब्द को परिभाषित किया गया है। द.

अभिव्यक्ति इंगित करती है कि देय ऋण शब्द में तीन घटक शामिल हैं: वित्तपोषण समझौते के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऋण की मूल राशि; सभी उपार्जित ब्याज, वित्तपोषण शुल्क और वित्तपोषण समझौते के तहत देय शुल्क; और कोई भी अधीनस्थ ऋण जो ऋण में शामिल है।

वित्तीय पैकेज। [पैरा 36] [682-डी-एच; 683-ए]

1.2 अनुच्छेद 18 एक एस्क्रो खाते का प्रावधान करता है जिसमें सभी धन, जो रियायत प्राप्तकर्ता की पूंजी लागत को पूरा करने के लिए वित्तपोषण पैकेज का गठन करते हैं, जमा किए जाने हैं। परिचालन अवधि के दौरान, सभी किराया और गैर-किराया राजस्व भी विशेष रूप से एस्क्रो खाते में जमा किए जाने थे।

रियायत पाने वाला। अनुच्छेद 18.2। 1 एस्क्रो खाते से संवितरण के लिए प्रावधान किया गया, जिसमें वरिष्ठ ऋणदाताओं को देय ऋण सेवा भुगतान शामिल थे। [पैरा 37] [683-एफ-जी]

1.3 जहां रियायत समझौते को हुडा द्वारा रियायत पाने वाले द्वारा चूक के कारण समाप्त कर दिया गया है, हुडा

पूर्ण परियोजना और परिसंपत्तियों को संभालने और परियोजना के ऋणदाताओं को भुगतान करने की आवश्यकता थी, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार, रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड।

ईटीसी. वी. हरियाणा सामूहिक बलात्कार परिवहन निगम। लिमिटेड

समाप्ति भुगतान के रूप में देय ऋण के 80 प्रतिशत के बराबर राशि। जहाँ दूसरी ओर, हुडा द्वारा चूक के कारण रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा समाप्ति की जाती है,

भुगतान, इसके बराबर राशि: देय ऋण और समायोजित इक्विटी का 110 प्रतिशत। [पैरा 39] [686-डी-ई] 1.4 20 सितंबर 2019 के उच्च न्यायालय के सहमति आदेश में निहित निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि

कैग द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा दल को देय ऋण का वित्तीय लेखापरीक्षा करनी थी और लेखापरीक्षा के दायरे की जांच करने के लिए, सहमति आदेश एक समयबद्ध प्रक्रिया है जिसकी परिकल्पना की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी थी और देय ऋण का 80 प्रतिशत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाना था; और अंतिम पहलू जिस पर जोर देने की आवश्यकता है वह यह है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच शेष विवादों को मध्यस्थता में उत्तेजित किया जाना था। पक्षकार स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि एक बार लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में देय ऋण का पता चलने के बाद, 80 प्रतिशत एचएसवीपी द्वारा एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा, जबकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में शेष विवाद मध्यस्थता द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर एस्क्रो खाते में राशि जमा करने के लिए 30 दिनों का समय निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात, उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य आदेश पारित किया गया जिसमें पहले के आदेश के खंड (ii) को प्रतिस्थापित किया गया था और प्रतिस्थापित आदेश में यह परिकल्पना की गई थी कि लेखा परीक्षकों को एच. एस. वी. पी. द्वारा सुझाए गए ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे की भी जांच करनी होगी। इसलिए, सीएजी रियायत समझौतों के संदर्भ में एचएसवीपी द्वारा सुझाए गए ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे की भी जांच करेगा। इसके अलावा, यह परिकल्पना की गई थी कि सीएजी रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले बाकी विवाद, दोनों पक्षों द्वारा जारी समाप्ति नोटिसों की वैधता और किसी भी पिछले या भविष्य के दावे/दिनदारियों को मध्यस्थता में उत्तेजित किया जाएगा। 15 अक्टूबर 2019 को, डिवीजन बेंच द्वारा एक और स्पष्टीकरण दिया गया कि सीएजी रियायत समझौतों के संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा सुझाए गए ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे की जांच करेगा। इस प्रकार, दोनों पक्षों द्वारा यह समझा गया कि देय ऋण का निर्धारण रियायत समझौतों के संदर्भ में होगा। कैग ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी भूमिका के बारे में अपनी समझ रखी।

अपने

[2021] 3 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19 नवंबर 2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित बयान में, कैग ने कहा कि उसने "हस्तांतरण की तारीख तक देय ऋण के वित्तीय ऑडिट के लिए" एक लेखा परीक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया था। [पारस 45,46] [690-एच; 691-ए-जी]

1.5 एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. के साथ-साथ अपीलार्थी भी थे

सीएजी द्वारा उसके द्वारा नियुक्त फर्म को सौंपे जा रहे लेखापरीक्षा के कार्य के बारे में सभी भौतिक समय पर अवगत कराया जाता है। 24 फरवरी 2020 को, आर. एम. जी. एल./के देय ऋण के वित्तीय लेखा परीक्षा की एक मसौदा रिपोर्ट।

आर. एम. जी. एस. एल. को हरियाणा सरकार के नगर और ग्राम योजना विभाग में प्रधान सचिव के पास भेजा गया था। एच. एम. आर. टी. सी. से राज्य सरकार की ओर से अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया था, ताकि इसे रिपोर्ट में शामिल किया जा सके। 27 फरवरी 2020 को, एच. एस. वी. पी. ने चार सप्ताह की मांग की

कम से कम, राज्य विधानसभा के चल रहे सत्र को देखते हुए। महालेखापरीक्षक लेखा परीक्षा, हरियाणा ने 18 मार्च 2020 और 22 अप्रैल 2020 के बाद के संचार द्वारा पहले के ईमेल का अनुसरण किया। बाद में कैग की ओर से राज्य सरकार से 29 अप्रैल 2020 की समय सीमा से पहले जवाब देने का अनुरोध किया गया था, जिसमें विफल रहने पर उनकी प्रतिक्रिया को शामिल किए बिना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

हालांकि, एच. एम. आर. टी. सी., एच. एस. वी. पी. और राज्य सरकार ने मसौदा रिपोर्ट पर अपना जवाब नहीं दिया। अंततः, ऋण के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

क्रमशः आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. के साथ रियायत समझौते, और उच्च न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में रखे गए थे। अपीलार्थियों द्वारा एक आवेदन पर सीलबंद लिफाफा खोले जाने के बाद, 10 अक्टूबर 2020 को एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा एक हलफनामे के रूप में आपत्ति जताई गई थी। एच. एम. आर. टी. सी. के अनुसार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनिर्णायक और अधूरी थी, क्योंकि कई पहलू जिनका देय ऋण पर प्रभाव पड़ेगा, उनका निर्धारण किया जाना बाकी है। द.

लेखा परीक्षकों ने कहा कि सीएजी द्वारा तय किए गए ऑडिट का दायरा 19 नवंबर 2019 को उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था और यह सूचित किया गया था कि केवल वे मुद्दे जो रियायत समझौतों के तहत देय ऋण की जांच से संबंधित हैं

जाँच की जाएगी। इसलिए, एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा उल्लिखित अन्य मुद्दे, जैसे कि मेट्रो परियोजना पर बोझ और देनदारियां, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में हिस्सेदारी/हिस्सेदारी

रियायत पाने वाले, शेयरधारिता अधिकारों में परिवर्तन, आपराधिक कृत्यों और देनदारियों के लिए फोरेंसिक और तकनीकी ऑडिट की आवश्यकता होगी।

इस तरह के ऑडिट रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड करते हैं। ईटीसी. वी. हरियाणा सामूहिक बलात्कार परिवहन निगम। लिमिटेड

स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं। लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया लेखापरीक्षा

इसमें सीएजी द्वारा नियुक्त, रियायत समझौतों में परिभाषित देय ऋण की जांच करने तक सीमित था। देय ऋण के मूलधन और ब्याज घटक पर पहुँचते समय, लेखा परीक्षकों ने संकेत दिया कि अन्य मामले उनके ध्यान में आए थे, जिनका देय ऋण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, और यह कि रिपोर्ट ऐसे मामलों के परिणाम के अधीन थी। [पैरा 47] [692-ई-एच; 693-ए-ई] 1.6 20 सितंबर 2019 के आदेश के खंड (ii) में यह स्पष्ट किया गया है कि मूल उद्देश्य

"रियायत अनुबंध के तहत परिभाषित" देय ऋण का निर्धारण कैग को सौंपने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही से जब्त कर लिया गया था, और आर. एम. जी. एल. द्वारा जारी बर्खास्तगी के नोटिस को चुनौती देने के लिए इसके रिट अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया था और

आर. एम. जी. एस. एल., और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेट्रो संचालन की समाप्ति से 90 दिनों की सूचना अवधि की समाप्ति पर उत्पन्न होने वाले परिणाम को सार्वजनिक कानून अधिकार क्षेत्र के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा रोका जा सकता है। समाप्ति की सूचना जारी करना, जिसके परिणाम

ऐसा होगा और विवादों का समाधान विशेष रूप से पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते में प्रदान किया जाता है, जो रियायत समझौतों का एक आंतरिक हिस्सा है। इसलिए, एक ओर जनहित के इस तत्व और दूसरी ओर रियायत समझौतों के लिए पक्षों के संविदात्मक अधिकारों के बीच एक स्पष्ट अंतरफलक था। हालाँकि, जब एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया, तो उन्होंने ऐसा आसन्न खतरे को देखते हुए किया, जो तेजी से मेट्रो संचालन के क्षितिज पर बड़े पैमाने पर था, जो समाप्ति से पहले 90 दिनों के नोटिस की निकट समाप्ति के परिणामस्वरूप रुका हुआ था। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से जनहित के एक मौलिक मुद्दे पर चिंतित था, जो गुड़गांव में बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए रैपिड मेट्रो का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए कठिनाई थी।

इस प्रकार, तत्काल मामले में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उचित था क्योंकि गैर-हस्तक्षेप, जो अनिवार्य रूप से गुड़गांव के लिए तेजी से मेट्रो लाइनों के व्यवधान का कारण बनता, के आम जनता के लिए विनाशकारी परिणाम होते। हालाँकि, प्रचुर सावधानी के उपाय के रूप में, [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह स्पष्ट किया जाता है कि आम तौर पर अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय किसी ऐसे विवाद पर विचार करने से इनकार कर देगा जो मध्यस्थता योग्य हो। इसके अलावा, मध्यस्थता के तहत उपचार उपलब्ध हैं और

धारा 17 स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष। [पैरा 49] [694-जी-एच; 695-ए-सी; 696-बी-डी] 1.7 रियायत समझौतों की समाप्ति में निहित प्रावधानों के संदर्भ में परिणाम थे

समझौता जिसमें अनुच्छेद 24.4 के तहत देय ऋण का 80 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता होती है। चुनाव लड़ने वाले दल तटस्थ दल द्वारा इस राशि के स्वतंत्र तीसरे पक्ष के निर्धारण पर सहमत हुए। इकाई, अर्थात् सीएजी। कैग का प्राथमिक कार्य देय ऋण का वित्तीय लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों की एक टीम नियुक्त करना था और उस प्रक्रिया में लेखा परीक्षा के दायरे की भी जांच करना था। उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर 2019 और 15 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए आदेशों में यह भी परिकल्पना की गई थी कि सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे की जांच करेगा। जबकि 4 अक्टूबर 2019 के पहले के आदेश में सीएजी को एचएसवीपी द्वारा सुझाए गए ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे की जांच करने की आवश्यकता थी, 15 अक्टूबर 2019 के बाद के आदेश में दोनों पक्षों द्वारा "रियायत समझौते के संदर्भ में" सुझावों को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा के दायरे पर सीएजी द्वारा जांच की आवश्यकता थी। "रियायत समझौते के संदर्भ में" अभिव्यक्ति इंगित करती है कि लेखा परीक्षा का आधार वही होना था जो रियायत समझौतों में परिकल्पित किया गया था, जो विशेष रूप से "देय ऋण" अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है। उल्लेखनीय है कि 20 सितंबर 2019 का मूल आदेश एक सख्त समय निर्दिष्ट करता है।

अनुसूची जिसके भीतर, द्वारा किए जा रहे निर्धारण पर

लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाली याचिकाओं को मध्यस्थता कार्यवाही में उत्तेजित किया जाना था। [पैरा 50] [696-ई-एच; 697-ए-बी] 1.8 20 सितंबर को उच्च न्यायालय के सहमति आदेश के परिचालन निर्देशों के खंड (v) में सन्निहित प्रावधान

2019 , एक उचित व्याख्या करने में सक्षम है जो एक बार रैपिड मेट्रो गुरगांव लिमिटेड थी।

ईटीसी. वी. हरियाणा सामूहिक बलात्कार परिवहन निगम। लिमिटेड

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निर्धारण किया गया था, 80 प्रतिशत होगा एच. एस. वी. पी. द्वारा एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा और यदि लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उत्पन्न कोई विवाद बना रहता है, तो उसे मध्यस्थता में हल किया जाएगा। वास्तव में, 4 अक्टूबर 2019 के बाद के आदेश ने खंड (v) को इस परिकल्पना के साथ प्रतिस्थापित किया कि पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले शेष विवाद: कैग रिपोर्ट; दोनों पक्षों द्वारा जारी समाप्ति नोटिसों की वैधता; और किसी भी पिछले या भविष्य के दावों/दिनदारियों को उत्तेजित किया जाएगा और मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय लिया जाएगा। [पैरा 51] [697-सी-ई]

1.9 एक ओर एच. एस. वी. पी. और एच. एम. आर. टी. सी. और दूसरी ओर आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. चर्चा में थे जब उन्होंने उच्च न्यायालय को 20 सितंबर 2019 को अपना आदेश पारित करने के लिए आमंत्रित किया और 4 अक्टूबर 2019 और 15 अक्टूबर 2019 के आदेशों द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति व्यक्त की। उच्च न्यायालय के आदेश में निहित स्पष्ट शर्तों के बावजूद, कैग रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों में निहित निर्देशों को लागू करने से उत्पन्न होने वाले परिणामों में हस्तक्षेप करना अनुज्ञेय नहीं होगा। [पैरा 52] [697-ई-एफ; 698-बी]

1.10 उप महालेखाकार द्वारा इस न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने हलफनामे के दौरान कैग ने स्पष्ट किया कि

यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों द्वारा सुझाए गए ऋण के वित्तीय लेखापरीक्षा के दायरे की जांच करने के बाद, कैग केवल उन मुद्दों की जांच करेगा जो रियायत समझौतों के तहत देय ऋण की जांच से संबंधित और प्रासंगिक हैं। सी. ए. जी. ने एक ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जो उचित थी, जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष लेखापरीक्षा के दायरे के बारे में पहले से बयान दिया गया; इसका निर्धारण करने से पहले पक्षों द्वारा सुझाए गए लेखापरीक्षा के दायरे की जांच की गई; उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लेखापरीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों की एक फर्म की नियुक्ति की गई; मसौदा रिपोर्ट की एक प्रति के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली समानताओं को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई; पार्टियों को मसौदा रिपोर्ट पर अपना जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई; हरियाणा राज्य को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय का विस्तार दिया गया; और राज्य को नोटिस पर रखा गया कि उसे अंततः एक निर्धारित समय सीमा तक अपनी आपत्तियां दायर करनी होंगी, जिसमें विफल रहने पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। [पैरा 53] [698-सी-जी] [2021] 3 एस. सी. आर.

1.11 यदि एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने अपना जवाब जमा नहीं किया तो वे खुद दोषी हैं। कैग ने विशेष रूप से खंडन किया है

एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर आपत्तियाँ इस आधार पर कि एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में, सी. ए. जी. ने रियायत के संदर्भ में ऋण के लेखापरीक्षा के दायरे पर निर्णय लिया समझौते, जिन्हें उसने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया है कि यह बकाया ऋण का एक वित्तीय ऑडिट था और लेखा परीक्षकों ने रियायत के संदर्भ में अपने निष्कर्षों की सूचना दी।

समझौते। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी, आयकर विभाग का नोटिस, एस. एफ. आई. ओ. द्वारा की गई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट वित्तीय ऑडिट का हिस्सा नहीं थे

सीएजी द्वारा संचालित। कैग ने प्रस्तुत किया है कि बकाया ऋण का वित्तीय लेखा परीक्षा पूर्ण और निर्णायक है जैसा कि कैग द्वारा तय किया गया है, और उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है। [पैरा 54] [698-जी-एच; 699-ए-बी]

1.12 विचाराधीन परियोजनाओं को बैंकों के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिनमें केनरा बैंक और आंध्र बैंक शामिल हैं। रियायत समझौतों की शर्तें

यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि परियोजनाओं को सार्वजनिक रूप से वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि ऋण और इक्विटी के बीच का अनुपात 70 आंका गया था: 30 . 9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते की शर्तों में अनुच्छेद 18 में एस्क्रो खाते के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई थी। एचएसवीपी के पूर्ववर्ती हुडा ने 9 दिसंबर 2009 को एक रियायत समझौता किया, जो अनुच्छेद 17 में वित्तपोषण पैकेज और रियायत समझौते के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। वास्तव में, अनुच्छेद 17.2 इस बात पर जोर देता है कि यदि छह महीने की उपचार अवधि के भीतर छह महीने के भीतर वित्तीय समापन नहीं होता है तो रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकार माफ हो जाएंगे। इसके अलावा, अनुच्छेद 18.1 में यह परिकल्पना की गई है कि रियायत प्राप्तकर्ता की पूंजी लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय पैकेज का गठन करने वाली सभी निधियों को संचालन की अवधि के दौरान एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा, और रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा एकत्र किए गए सभी किराया और गैर-किराया राजस्व विशेष रूप से इसमें जमा किए जाएंगे। अनुच्छेद 18.2 के तहत, रियायत प्राप्तकर्ता को एस्क्रो खाता खोलते समय एस्क्रो बैंक को अपरिवर्तनीय निर्देश देने की आवश्यकता थी कि एस्क्रो खाते में जमा राशि को विनियोजित किया जाएगा। अनुच्छेद 18.2 के खंड (i) से खंड (ii) में दर्शाई गई विधि। 1 .

यह रैपिड मेट्रो गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा सामूहिक बलात्कार परिवहन निगम। लिमिटेड

इसमें ऋण सेवा भुगतान का प्रावधान शामिल है। रियायत समझौते के इन प्रावधानों का वर्तमान विवाद के विषय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। केनरा बैंक ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कहा है कि ऋणदाताओं के संघ की ओर से, सुविधा एजेंट के रूप में कार्य करते हुए, इसने आर. एम. जी. एस. एल. को वित्तपोषित किया।

एक सामान्य ऋण समझौते के संदर्भ में कुल 1500 करोड़ रुपये। एस्क्रो खाता समझौता किया गया है रियायत समझौते के अनुसरण में, और प्रभावी करने के लिए

परियोजना संख्या 2 का वित्तपोषण। 31 जुलाई 2019 तक आर. एम. जी. एस. एल. के ऋणदाताओं पर लगभग 1651 करोड़ रुपये का बकाया है। इसलिए, आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा निष्पादित की गई परियोजनाओं में आंध्र बैंक और केनरा बैंक से धन का परिव्यय शामिल है, जिनकी परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

[पैरा 55] [699-सी-एच; 700-ए]

1.13 इस प्रकार, एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. इस स्तर पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने से बच नहीं सकते हैं। अदालत ने 20 सितंबर 2019 के अपने आदेशों में, जैसा कि 4 और 15 अक्टूबर 2019 को संशोधित किया गया था, इस याचिका पर कि आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह के खिलाफ 16 दिसंबर 2018 को एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई है।

आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. के खिलाफ नकली चालान बनाने और त्वरित मेट्रो परियोजनाओं की पूंजी लागत को बढ़ाने के आरोप। एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, वे उसे और एच. एस. वी. पी. को तब पता थे जब वे दोनों एक आदेश पर सहमत हुए जो 20 सितंबर 2019 को पक्षों की सहमति से आया था। एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. दोनों 80 प्रतिशत जमा करने के अपने दायित्व के प्रति सचेत थे।

रियायत समझौतों में निहित प्रावधानों द्वारा समाप्ति के परिणामस्वरूप देय ऋण का। वे सीएजी की भागीदारी की मांग करके बकाया ऋण के निर्धारण का आश्वासन देना चाहते थे। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक गंभीर प्रतिबद्धता व्यक्त की कि निर्धारण के 30 दिनों के भीतर, बकाया ऋण का 80 प्रतिशत एस्क्रो खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह राशि आर. एम. जी. एल. या आर. एम. जी. एस. एल. को नहीं सौंपी जा रही है, जिन्हें आई. एल. एंड एफ. एस. समूह की "लाल इकाइयों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एस्क्रो में देय ऋण के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली मात्रा की नियुक्ति

एन. सी. एल. ए. टी. या किसी अन्य सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना है। इसके अलावा प्रावधान, उपचार या तो सक्षम [2021] 3 एस. सी. आर. के समक्ष उपलब्ध हैं।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत धारा 9 के तहत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायालय। इसलिए, एच. एस. वी. पी. और एच. एम. आर. टी. सी. को अपने दायित्वों के अनुपालन में बाधा डालने या देरी करने की अनुमति देने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता होने पर तीन कारणों से स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं होगी: पहला, समाप्ति के परिणामस्वरूप देय 80 प्रतिशत ऋण जमा करने का दायित्व 9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते के अनुच्छेद 24.4 से निकलता है; दूसरा, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निर्धारित बकाया ऋण का 80 प्रतिशत जमा करने का दायित्व एच. एस. वी. पी./एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से ग्रहण किया गया है, जिससे, सार्वजनिक निकायों के रूप में, उन्हें फिर से जमा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है; और तीसरा, यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित का तत्व है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिबद्ध धन।

रियायत समझौतों के संदर्भ में उन्हें सुरक्षित किया जाता है। [पैरा 56] [700-बी-एच; 701-ए]

1.14 आई. एल. एंड. एफ. एस. के पूर्व प्रबंधन में प्रवर्तकों द्वारा कथित रूप से किए गए अंतर्निहित गलत कार्यों की निस्संदेह जांच की जानी चाहिए। की प्रक्रिया

वाणिज्यिक अनुबंधों की पवित्रता पर आधारित परियोजनाओं का विधिवत पालन किया जाना चाहिए। इस पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह जनहित के एक महत्वपूर्ण तत्व का भी प्रतीक है। ऋण वसूली में गिरावट से न केवल उच्च प्रावधान होते हैं और लाभप्रदता में कमी आती है लेकिन बैंकों की ऋण देने की क्षमता को भी बाधित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब तक रियायत समझौतों में परिकल्पित व्यवस्थाओं के हिस्से के रूप में वित्तीय संस्थानों को आश्वासन दिए गए बकाया को विधिवत लागू नहीं किया जाता है, तब तक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की संरचना खतरे में पड़ सकती है। एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. जैसे किसी अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार करके इस तरह के परिणाम से बचा जाना चाहिए, जो इसे अपने दायित्वों से पीछे हटने की अनुमति देता है। ये दायित्व न केवल रियायत समझौतों के संदर्भ में उत्पन्न होते हैं, बल्कि रैपिड मेट्रो गुरगांव लिमिटेड भी हैं।

ईटीसी. वी. हरियाणा सामूहिक बलात्कार परिवहन निगम। लिमिटेड

उच्च न्यायालय के समक्ष गंभीरता से ग्रहण किया गया। इसलिए, दोनों मामलों में, एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. को रीसाइल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 57] [701-बी-ई]

1.15 उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को पटरी से उतारने के तरीके को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। 12 अक्टूबर 2020 को, एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा अपना हलफनामा दायर करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की इस दलील पर ध्यान दिया कि "मामले में कोई देरी नहीं होती है" और फिर भी मामले को 16 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया।

इसके बाद, जब 16 दिसंबर 2020 को कार्यवाही शुरू हुई और सीएजी द्वारा दायर प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड में लिया गया, तो रिट याचिकाओं की सुनवाई को फिर से 8 अप्रैल 2021 तक के लिए टाल दिया गया। घटनाओं का यह क्रम इंगित करता है कि पूरा उद्देश्य और उद्देश्य

20 सितंबर 2019 के आदेश में समय-सीमा निर्धारित करने के पीछे हारने का खतरा था। यह न्यायालय रहा है

प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 20 सितंबर 2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष हुई समझ की पवित्रता को विधिवत बनाए रखा जाए। यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण जनहित तत्व है कि राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्क्रो खाते में जमा किए जाने वाले धन को विधिवत जमा किया जाए। एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. होना चाहिए जोर देकर, उपचार के बिना नहीं छोड़े जाते हैं। एस्क्रो खाते में जमा राशि को उस रूप में बनाए रखना होगा और ऐसे आदेशों का पालन करना होगा जो एन. सी. एल. ए. टी. या किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा, रियायत समझौते मध्यस्थता समझौते के तहत राहत पाने के लिए एक स्पष्ट उपाय प्रदान करते हैं। [पैरा 58] [701-एफ-जी; 702-ए-सी]

1.16 एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया गया था 17 जून 2019 के समाप्ति नोटिसों को चुनौती देने और रैपिड मेट्रो की समाप्ति के परिणाम को रोकने के लिए

संचालन, जो सूचना अवधि की समाप्ति पर हुआ होगा। रियायत समझौतों का मध्यस्थता खंड उपचार के लिए पर्याप्त सहारा प्रदान करता है जिसका लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, 4 अक्टूबर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बकाया ऋण का 80 प्रतिशत जमा करने के बाद शेष विवाद, जो या तो कैग रिपोर्ट से उत्पन्न होता है, दोनों पक्षों द्वारा जारी समाप्ति नोटिसों की वैधता और किसी भी पिछले या भविष्य के दावों और देनदारियों [2021] 3 एस. सी. आर.

उत्तेजित किया जाएगा और मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय लिया जाएगा। पारित किए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय के बीच विवाद पक्षों को कानून के अनुसार अपने अधिकारों और उपचारों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान करके तैयार किया जाएगा। यह निर्देश दिया जाता है कि एच. एस. वी. पी. निर्धारित अवधि के भीतर

आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. के मामले में क्रमशः 23 जून 2020 की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्धारित देय ऋण का 80 प्रतिशत एस्क्रो खाता; एस्क्रो खाते में जमा किसी भी आदेश के अधीन एस्क्रो में बनाए रखा जाएगा।

जो एन. सी. एल. ए. टी. या किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पारित किया जा सकता है, और विशिष्ट अनुमति के बिना एस्क्रो बैंक द्वारा विनियोजित नहीं किया जाएगा; एक ओर आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल., और दूसरी ओर एच. एस. वी. पी., मध्यस्थता समझौते के दायरे में आने वाले सभी मामलों पर मध्यस्थता समझौतों में निहित मध्यस्थता खंड के अनुसरण में अपने अधिकारों और उपचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें समाप्ति की सूचनाओं की वैधता, कोई भी अतीत या भविष्य के अंतर दावे और देनदारियां शामिल हैं, जैसा कि 4 अक्टूबर 2019 और 15 अक्टूबर 2019 को संशोधित 20 सितंबर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश में परिकल्पना की गई है; 20 सितंबर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश के खंड (v) के संदर्भ में, कोई भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में।

अक्टूबर 2019 और 15 अक्टूबर 2019; और उत्तरदाताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। [पारस 59,60] [702-डी-एच; 703-ए-जी]

संजना एम. विग बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 242: [2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 190; बिसरा लाइम स्टोन कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा एस. ई. बी., (1976) 2 एस. सी. सी. 167: [1976] 2 एस. सी. आर. 307; मनीष मोहन शर्मा बनाम।

रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड, ई. टी. सी. v. हरियाणा सामूहिक बलात्कार परिवहन निगम। लिमिटेड

राम बहादुर ठाकुर लिमिटेड (2006) 4 एससीसी 416: [2006] 3 एस. सी. आर. 97-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 3 पूरक। एससीआर 190

संदर्भित किया गया है

पै

रा 49

[1976] 2 एससीआर 307

संदर्भित किया गया है

पै

रा 49

[2006] 3 एससीआर 97

संदर्भित किया गया है

पै

रा 52

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील Nos.925

926 2021 से।

12.10.2020 और 16.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेशों से

सी. डब्ल्यू. पी.-24949-2019 और सी. डब्ल्यू. पी.-24951-2019 में सी. एम.-7881 सी. डब्ल्यू. पी.-2020 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से।

तुषार मेहता, एस. जी., आलोक सांगवान, सीनियर ए. ए. जी., बी. के. सतीजा, ए. ए. जी.

मुकुल रोहतगी, पुनीत बाली, चेतन मित्तल, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रौणक ढिल्लों, अभिजीत दास, आदित्य मारवाह, शुभंकर जैन, अरूप गुप्ता (मेसर्स सिरिल अमरचंद मंगलदास के लिए), राजेश गोयल, सुमित कुमार शर्मा, अनुराग कुल्हरिया, संदीप, जतिन कुमार, उदित गर्ग, हिमांशु गुप्ता,

देवन मुंजाल, अक्षित जैन, डॉ. मोनिका गुसैन, संजय बजाज, सुश्री कंचन कौर ढोडी, पी. बी. ए. श्रीनिवासन, अमित के. नैन, पार्थ डी. टंडन, अविनाश महापात्रा, सुश्री चंद्रलेखा, कीथ वर्गीज, सुश्री इच्छा कलश, सुश्री निकिता रॉस, राजीव भल्ला, यजुर भल्ला। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया है -

विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना:

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

वकीलों की दलीलें

बी.

रियायत समझौतों का विश्लेषण

सी.

20 सितंबर 2019 के सहमति आदेश की शर्तें पारित की गईं।

डी.

उच्च न्यायालय द्वारा

ई.

एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. का बकाया ऋण चुकाने का दायित्व

एफ.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1. 2008 में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ("एच. एस. वी. पी".), दूसरे प्रतिवादी ने योग्यता के लिए अनुरोध और इसके लिए अनुरोध जारी किया।

एम. जी. रोड पर दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर स्टेशन से एन. एच.-8 ("परियोजना संख्या 1") तक मेट्रो रेल लिंक विकसित करने के लिए प्रस्ताव ("आर. एफ. क्यू./आर. एफ. पी".)। ए.

आई. एल. एंड एफ. एस. रेल लिमिटेड (आई. आर. एल.), आई. एल. एंड एफ. एस. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड (आई. टी. एन. एल.) और डी. एल. एफ. मेट्रो लिमिटेड के बीच 1 दिसंबर 2008 को कंसोर्टियम समझौता किया गया था जिसमें आई. आर. एल. को कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के रूप में पहचाना गया था। एच. एस. वी. पी. ने संघ द्वारा प्रस्तुत बोली को स्वीकार कर लिया और 16 जुलाई 2009 का एक पुरस्कार पत्र जारी किया, इस शर्त के अधीन कि एक रियायत समझौते को 60 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाएगा। पुरस्कार पत्र के अनुसार, संघ ने कंपनी अधिनियम, 1956 ("1956 का अधिनियम") के तहत पहले अपीलकर्ता, रैपिड मेट्रोरेल गुड़गांव लिमिटेड ("आर. एम. जी. एल".) को शामिल किया और एच. एस. वी. पी. से आर. एम. जी. एल. को एक इकाई के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया जो इस कार्य को करेगा, पूरा करेगा और इसका प्रयोग करेगा।

पुरस्कार पत्र के तहत संघ के अधिकार। 2. 9 दिसंबर 2009 को, एचएसवीपी ने आरएमजीएल के साथ एक डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर परियोजना संख्या 1 के निष्पादन के लिए एक रियायत समझौता किया। एच. एस. वी. पी. ने आर. एम. जी. एल. को प्रभावी तिथि से 99 वर्षों की अवधि के लिए रियायत प्रदान की, जिसमें परियोजना संख्या 1 को लागू करने और संचालित करने के लिए रियायत समझौते के निर्वाह के दौरान विशेष अधिकार, लाइसेंस और अधिकार शामिल हैं।

3. 2012 में, एच. एस. वी. पी. ने एक और आर. एफ. क्यू./आर. एफ. पी. जारी किया

एम. जी. रोड पर दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर 56, गुरुग्राम ("परियोजना संख्या 2") तक मेट्रो रेल संपर्क। 4. 25 अप्रैल 2012 को आई. आर. एल. और आई. टी. एन. एल. ने एक समझौता ज्ञापन के रूप में एक संघ व्यवस्था में प्रवेश किया।

जिसकी पहचान आई. आर. एल. को संघ के प्रमुख सदस्य के रूप में की गई थी। संघ द्वारा प्रस्तुत बोली एच. एस. वी. पी. द्वारा स्वीकार कर ली गई, जिसने 1 अक्टूबर 2012 को पुरस्कार पत्र जारी किया। पुरस्कार पत्र के अनुसार, संघ ने दूसरे अपीलार्थी, रैपिड को बढ़ावा दिया और शामिल किया

मेट्रोरेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड (आर. एम. जी. एस. एल.), जो दायित्वों को पूरा करेगी और पत्र के तहत संघ के अधिकारों का प्रयोग करेगी

पुरस्कार। इसके बाद, 3 जनवरी 2013 को परियोजना संख्या 2 के निष्पादन के लिए एच. एस. वी. पी. और आर. एम. जी. एस. एल. के बीच एक रियायत समझौता किया गया। रियायत की अवधि 98 वर्ष थी जिसकी शुरुआत से

प्रभावी तिथि। आर. एम. जी. एस. एल. के पास विशेष अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकरण रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड था।

ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांसेज। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

परियोजना संख्या 2 को लागू करने और संचालित करने के लिए रियायत समझौते के निर्वाह के दौरान।

5. आर. एम. जी. एल. ने 14 नवंबर 2013 को परियोजना संख्या 1 को पूरा किया। आर. एम. जी. एस. एल. ने 31 मार्च 2017 को परियोजना संख्या 2 को पूरा किया। इस बीच, 11 जनवरी 2014 को, हरियाणा सरकार के नगर और ग्राम योजना विभाग ने निर्देश दिया कि राज्य में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए सभी मेट्रो परियोजनाओं और परियोजनाओं को हरियाणा सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। प्रथम प्रतिवादी, हरियाणा मास रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("एच. एम. आर. टी. सी".)।

रियायत समझौता। 17 जुलाई 2018 के इलाज के नोटिस का जवाब देते हुए, एच. एस. वी. पी. ने आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. दोनों को 11 अक्टूबर 2018 को एक संदेश भेजा। 7. 1 अक्टूबर 2018 को, भारत संघ द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("आई. एल. एंड. एफ. एस".) और उसके निदेशक मंडल ("बोर्ड") के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एन. सी. एल. टी".) की मुंबई पीठ के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 का अधिनियम") की धारा 242 के साथ पठित धारा 241 (2) के तहत एक याचिका 1 इस आधार पर दायर की गई थी कि कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के मामलों का संचालन जनहित के प्रतिकूल तरीके से किया जा रहा था। आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. दोनों आई. एल. एंड एफ. एस. समूह का हिस्सा हैं।

कंपनियाँ। याचिका पर कार्रवाई करते हुए, एन. सी. एल. टी. ने 1 अक्टूबर के अपने आदेश द्वारा

2018 आईएल एंड एफएस के मौजूदा बोर्ड को एक नवगठित बोर्ड के साथ हटा दिया गया, जिसे संघ की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था।

सरकार। नए बोर्ड ने आई. एल. एंड. एफ. एस. के मामलों का प्रभार संभाला

और अपने व्यवसाय का संचालन करने और एक रोडमैप तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया था

8. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ("एन. सी. एल. ए. टी".) ने 4 फरवरी 2019 के एक आदेश द्वारा न्यायमूर्ति डी. के. जैन को एक न्यायाधीश नियुक्त किया। इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह की कंपनियों के लिए समाधान प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए। अपीलार्थी, आरएमजीएल और आरएमजीएसएल,

भारत संघ द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष 11 फरवरी 2019 को दायर एक हलफनामे 2 में आई. एल. एंड एफ. एस. समूह की कंपनियों की "लाल" इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 1 2018 की कंपनी याचिका संख्या 3638 2 2018 की कंपनी अपील (एटी) संख्या 346 [2021] 3 एस. सी. आर. में दायर की गई।

9. 7 जून 2019 को आर. एम. जी. एल. ने एच. एस. वी. पी. को 9 दिसंबर को हुए रियायत समझौते को समाप्त करने का नोटिस जारी किया था।

2009 अनुच्छेद 24.5 के संदर्भ में। 1 , इस समाप्ति सूचना के वितरण की तारीख से 90 दिनों की समाप्ति पर। आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा एच. एस. वी. पी. को अनुच्छेद 32.5 के संदर्भ में इसी तरह की समाप्ति सूचना जारी की गई थी। 1 3 जनवरी 2013 का रियायत समझौता। इसके अलावा, 7 जून 2019 को, अपीलकर्ताओं ने एच. एस. वी. पी. के पत्र का जवाब दिया जिसमें शिकायत की गई थी कि अपीलकर्ताओं द्वारा उनके संबंधित कानूनों के तहत कथित रूप से सामग्री का उल्लंघन किया गया है।

रियायत समझौते।

10. 26 जून 2019 को, आर. एम. जी. एल. ने एच. एस. वी. पी. को सूचित करते हुए लिखा कि विनिवेश की आवश्यकताएं एच. एस. वी. पी. के अनुच्छेद 25.4 और अनुच्छेद 25.2 में निहित हैं।

9 दिसंबर 2009 का रियायत समझौता इसके द्वारा पहले ही पूरा किया जा चुका था। हालांकि, एचएसवीपी इस तरह के विनिवेश के साथ आरजीएमएल के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए अनुच्छेद 25.4 के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा था।

आवश्यकताएँ। इसी तरह का एक पत्र आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा 3 जनवरी 2013 के रियायत समझौते के संदर्भ में संबोधित किया गया था। 1 अगस्त 2019 को आर. एम. जी. एल. ने एच. एस. वी. पी. को सूचित किया कि उसने परियोजना संख्या 1 को सौंपने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और 9 दिसंबर 2009 का रियायत समझौता 90 दिनों की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। समाप्ति सूचना। आर. एम. जी. एल. ने जोर देकर कहा कि वह समाप्ति के बाद परियोजना संख्या 1 का संचालन और रखरखाव बंद कर देगा। आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा रियायत के संदर्भ में एच. एस. वी. पी. को इसी तरह का एक पत्र लिखा गया था।

3 जनवरी 2013 का समझौता और परियोजना संख्या 2।

12. 26 अगस्त 2019 को, उत्तरदाताओं ने रियायत के अनुच्छेद 24.1 और 24.2 के तहत आर. एम. जी. एल. को समाप्ति का नोटिस जारी किया। 9 दिसंबर 2009 का समझौता। समझौते को समाप्त करते हुए, उन्होंने आर. एम. जी. एल. को परियोजना संख्या 1 एच. एम. आर. टी. सी. को सौंपने का निर्देश दिया, जो बदले में इसे दिल्ली मेट्रो रेल निगम ("डी. एम. आर. सी".) को सौंप देगा। परियोजना संख्या 2 को सौंपने के लिए एक अनुरूप निर्देश के साथ आर. एम. जी. एस. एल. को समाप्ति का एक समान नोटिस जारी किया गया था।

रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांस. कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका 3 में आर. एम. जी. एल. द्वारा 7 जून 2019 को जारी समाप्ति के नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि 90 दिनों की अवधि अनुमति की तारीख से शुरू होगी, जिसे अभी तक न्यायमूर्ति डी. के. जैन द्वारा नहीं दिया गया था। आर. एम. जी. एल. द्वारा परियोजना संख्या 1 के संचालन को जारी रखने के लिए एक अंतरिम निर्देश मांगा गया था। आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा इसी आधार पर समाप्ति के नोटिस को चुनौती देने के लिए एक और रिट याचिका दायर की गई थी और परियोजना संख्या 2 के संबंध में इसी तरह के अंतरिम निर्देश मांगे गए थे। न्यायमूर्ति डी. के. जैन की टिप्पणियाँ, उनके 6 सितंबर 2019 के आदेश में निहित हैं, 9 दिसंबर 2009 का रियायत समझौता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो इस प्रकार था:

" 20. फिर भी, अनुच्छेद 24 का खंड 24.6 निर्धारित करता है कि रियायत अनुबंध की समाप्ति पर, "किसी भी कारण से।

जो कुछ भी "हुडा मेट्रो का कब्जा और नियंत्रण लेगा

साइट पर या उसके आसपास सामग्री, निर्माण योजना, उपकरण, उपकरण, आदि सहित तुरंत लिंक करें। इसलिए, रियायत अनुबंध की समाप्ति के लिए रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा हुडा को लिखित रूप में 90 दिनों के पूर्व नोटिस की शर्त को छोड़कर, जहां ऐसी समाप्ति प्रभावी होने के बाद, किसी भी पक्ष द्वारा रियायत अनुबंध की समाप्ति पर, हुडा, मेट्रो लिंक का तुरंत कब्जा लेने के लिए बाध्य है। मैं एल. डी. से सहमत होने के लिए इच्छुक हूं। आर. एम. जी. एल. की ओर से पेश वकील ने कहा कि उक्त पूर्व सूचना की आवश्यकता हुडा को मेट्रो लिंक के कब्जे और नियंत्रण को संभालने के लिए खुद को तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, आर. एम. जी. एल. द्वारा एच. एस. वी. पी. (पहले ज्ञात) पर रियायत अनुबंध की समाप्ति की सूचना दी गई है।

हुडा के रूप में), 7 जून, 2019 को लिखित रूप में, उक्त समाप्ति सूचना

3 2019 का डब्ल्यूपी (सी) संख्या 24949 4 2019 [2021] की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 24951 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह 8 सितंबर, 2019 से 90 दिनों की समाप्ति पर प्रभावी होता है और आर. एम. जी. एल. को 9 सितंबर, 2019 को या उससे पहले एच. एस. वी. पी. को विषय मेट्रो लिंक का कब्जा और नियंत्रण सौंपना आवश्यक है और एच. एस. वी. पी. मेट्रो लिंक का कब्जा और नियंत्रण तुरंत लेने के लिए बाध्य है। एच. एस. वी. पी. ने आर. एम. जी. एल. द्वारा एच. एस. वी. पी. को परियोजना को सुचारू रूप से सौंपने और संभालने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जहाँ तक आर. एम. जी. एल. द्वारा एच. एस. वी. पी. को जारी समाप्ति सूचना की वैधता का सवाल है, इस मुद्दे का निर्णय एक उपयुक्त मंच पर किया जाना है, न कि माननीय एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पूर्व में निकाले गए निर्देश के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति द्वारा।

3 जनवरी 2013 की रियायत के संबंध में न्यायमूर्ति डी. के. जैन की टिप्पणियां इस प्रकार थीं:

" 19. यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि दोनों पक्षों ने समझौते को समाप्त करने के लिए नोटिस जारी किए हैं, मेट्रो लिंक को एचएसवीपी/एचएमआरटीसी द्वारा लिया जाना है, लेकिन विवाद केवल उस समय के संबंध में है जब हस्तांतरण और उसके बाद अधिग्रहण होना चाहिए। 7 जून, 2019 की समाप्ति सूचना की प्राप्ति पर एच. एस. वी. पी./एच. एम. आर. टी. सी. ने ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा परियोजना को सुचारू रूप से उन्हें सौंपना सुनिश्चित करें। जहाँ तक एच. एस. वी. पी. को आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा जारी समाप्ति सूचना की वैधता का सवाल है, इस मुद्दे का निर्णय एक उपयुक्त मंच पर किया जाना है, न कि माननीय एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पूर्व में निकाले गए निर्देश के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति द्वारा।

20. तदनुसार, आर. एम. जी. एस. एल. को 3 जनवरी, 2013 के रियायत समझौते की समाप्ति के अनुसार, एम. जी. रोड पर दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर 56, गुरुग्राम तक मेट्रो लिंक का कब्जा और नियंत्रण ए. एस. वी. पी. को सौंपने की अनुमति दी गई है। यह बिना कहे चला जाता है कि यह अनुमति चुनाव लड़ने वाले दलों के अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है

वैधता पर हमला करने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही करने के लिए और

उन दोनों द्वारा रियायत समझौते की समाप्ति के परिणाम। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि एच. एस. वी. पी. अभी भी आर. एम. जी. एस. एल. की सेवाओं को संलग्न करने के लिए स्वतंत्र होगा, भले ही पारस्परिक रूप से चर्चा की गई हो।

जब तक एच. एस. पी. वी. द्वारा इसे चलाने के लिए उचित/वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक मेट्रो लिंक विषय को चलाने के लिए बातचीत की गई शर्तें और शुल्क। पी. आई. डी. मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड।

ईटीसी. वी. हरियाणा मास रैपिड ट्रांस। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

15. 6 सितंबर 2019 को, उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए, कार्यवाही को 9 सितंबर 2019 तक स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि जब तक

अपीलार्थियों द्वारा रैपिड मेट्रो रेल का संचालन 9 सितंबर 2019 की आधी रात तक जारी रहेगा। 9 सितंबर को उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के समान विस्तार के साथ सुनवाई को 17 सितंबर 2019 तक के लिए स्थगित कर दिया। उच्च न्यायालय नेवेद:

" दिनांकित आदेश 09.09.2019 " हम दोनों मामलों यानी सी. डब्ल्यू. पी. में यह आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं।

2019 का Nos.24949 और 24951।

पक्षों के वकील द्वारा संबोधित लंबी दलीलों के बाद, अदालत ने पाया है कि पक्षों के बीच विवाद हो सकता है बातचीत द्वारा हल किया गया जिसके लिए दोनों को कुछ समय की आवश्यकता होगी और इसलिए, इस मामले की सुनवाई 17.09.2019 तक स्थगित कर दी गई है और 06.09.2019 पर दिए गए स्थगन का आदेश भी है

इसे आधी रात तक 17.09.2019 तक बढ़ा दिया गया है।

सुनवाई के दौरान, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि 09.09.2019 से अनुबंध की समाप्ति के साथ, प्रत्यर्थी रियायत पाने वाले के रूप में कार्य नहीं करेगा, बल्कि एक एजेंट के रूप में कार्य करेगा। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने

प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी एक लाइसेंसधारी के रूप में कार्य कर सकता है।

चाहे जो भी हो, यह सवाल कि क्या प्रत्यर्थी मध्यरात्रि तक लाइसेंसधारी या एजेंट के रूप में संचालन और प्रबंधन के उद्देश्य से कार्य करेगा, अगले दिन तय किया जाएगा।

सुनवाई की तारीख।

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी उल्लेख किया है बैठक में चर्चा के उद्देश्य के लिए नियम और शर्तें

इस अवधि के दौरान जो निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच. एस. वी. पी. को परियोजना का समयबद्ध हस्तांतरण;

(1)

एचएसवीपी द्वारा परियोजना को सौंपने की प्रतिबद्धता;

(2)

(3)

समाप्ति के रूप में देय ऋण का कम से कम 80 प्रतिशत भुगतान करने की प्रतिबद्धता

एचएसवीपी द्वारा आरएमजीएल/आरएमजीएसएल को भुगतान;

(4)

तुरंत शुरू करने के लिए हस्तांतरण;

(5)

आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. आगे के काम के लिए एच. एस. वी. पी. के एजेंट के रूप में कार्य करेगा

पोस्ट 09.09.2019;

एच. एस. वी. पी. के खाते में होने वाली लागत और लाभ;

(6)

किसी तीसरे पक्ष से आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. की क्षतिपूर्ति

(7)

दावे और एच. एस. वी. पी. के कार्यों से;

(8)

पार्टियों के अधिकार और लाभ उस तारीख को रोक दिए जाते हैं।

रियायत समझौते की समाप्ति प्रभावी हो जाती है,

हो-09-09-2019-और।

एच. एस. वी. पी. द्वारा निहित प्रमाण पत्र जारी करना।

(9)

सुनवाई की अगली तारीख यानी 17.09.2019 तक, प्रतिवादी गुड़गांव में रैपिड मेट्रो रेल का संचालन और प्रबंधन करेगा। लेकिन इस अवधि के याचिकाकर्ताओं द्वारा बीमा और संचालन और रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति के अधीन।

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के पीठ सचिव के हस्ताक्षर के तहत दोनों पक्षों को दी जानी चाहिए।

तत्काल सूची में लिया जाना। इस क्रम की एक फोटोकॉपी अन्य जुड़ी हुई फ़ाइल पर रखी जाए।

मामला "।

18 सितंबर 2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था: " दिनांकित आदेश 18.09.2019

रैपिड मेट्रोरेल गुड़गांव लिमिटेड (आर. एम. जी. एल.) और रैपिड मेट्रोरेल गुड़गांव साउथ लिड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील। (आर. एम. जी. एस. एल.) ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे हैं:

पी. आई. डी. मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांस. कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. अपने मेट्रो लिंक का संचालन जारी रखेंगे।

(i)

माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक; और (ख) मेट्रो लिंक के हस्तांतरण की प्रक्रिया निम्नानुसार की जा सकती है - दो माननीय (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की देखरेख, एक आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा नामित किया जा रहा है और एक

एच. एस. वी. पी. द्वारा नामित;

(ख)

9 सितंबर 2019 से इस विस्तारित अवधि के दौरान आर. एम. जी. एल. / आर. एम. जी. एस. एल. एच. एस. वी. पी. के एजेंट के रूप में कार्य करेगा, आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. निम्नलिखित के कारण उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों के लिए जिम्मेदार होंगे:

इस दौरान उनकी घोर लापरवाही और धोखाधड़ी;

उपरोक्त (i) और (ii) में निर्धारित शर्तें निम्नलिखित के अधीन हैं -

iii)

एच. एस. वी. पी. से एक वचन पत्र कि एक बार देय ऋण है

माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा इस प्रकार निर्धारित 'देय ऋण' का कम से कम 80 प्रतिशत अन्य बातों के साथ-साथ एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा।

रियायत समझौता एस्क्रो समझौता और प्रतिस्थापन

समझौता।

(iv)

उपरोक्त प्रस्ताव तत्काल ब्याज की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। परियोजना के सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं और आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. के अधिकारों और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

अनुबंध या लागू कानूनों के तहत अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी अंतर राशि का दावा करने का अधिकार जो ऋणदाताओं या आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. को समाप्ति के रूप में देय और देय हो सकता है।

भुगतान या कोई अन्य भुगतान।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता कुछ ले सकते हैं उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल.

इसका संचालन और प्रबंधन 20.09.2019 (आधी रात) तक जारी रखें।

20.09.2019 पर स्थगित किया गया।

तत्काल सूची में दिखाया जाना है।

इस क्रम की एक फोटोकॉपी जुड़ी हुई फ़ाइल में रखी जाए।

मामला "।

16. 18 सितंबर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश में,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर किए गए प्रस्तावों का एक विशिष्ट संदर्भ था

21] 3 एस सी आर।

वह: सबसे पहले, आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. 30 दिनों के लिए रैपिड मेट्रो लिंक का संचालन जारी रखेंगे, जिसके दौरान उनके संबंधित रियायत समझौतों के संदर्भ में वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार 'देय ऋण' होगा। एक लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा; और दूसरा, एच. एस. वी. पी. द्वारा एक वचन देना होगा कि लेखा परीक्षक द्वारा 'देय ऋण' के निर्धारण पर, इस प्रकार निर्धारित राशि का कम से कम 80 प्रतिशत रियायत समझौतों के संदर्भ में एस्क्रो खाते में जमा किया जाना चाहिए। उत्तरदाता एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने अपना जवाब प्रस्तुत किया

प्रस्ताव जो अपीलार्थियों द्वारा किया गया था, जिसे पहले के आदेश में स्वीकार किया गया था। जवाब निम्नलिखित शब्दों में था:

" (i) आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. के अनुरोध के संबंध में

30 दिनों की अवधि के लिए उक्त मेट्रो लाइनों का संचालन जारी रखते हुए, यह कहा गया है कि एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने पहले ही 16 सितंबर, 2019 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डी. एम. आर. सी.) के साथ उक्त मेट्रो लाइनों के संचालन और रखरखाव (ओ. एंड. एम.) के लिए एक औपचारिक समझौता कर लिया है। और यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने इस तथ्य के कारण उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि पहले आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. एच. एम. आर. टी. सी./एच. एस. वी. पी. के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर रहे थे।

यह विचार कि उक्त मेट्रो लाइनों के लिए ओ एंड एम को डी. एम. आर. सी. को सौंपने की पूरी प्रक्रिया की देखरेख में की जाए
माननीय (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्हें द्वारा नियुक्त किया जा सकता है

माननीय न्यायालय उचित समय के भीतर।

((ii) दूसरा, "देय ऋण" के निर्धारण का पहलू है -

हालाँकि, एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. के प्रस्ताव से सहमत हैं कि उस संबंध में वास्तविक आंकड़ों का पता लगाने के लिए एक लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है। इस मामले में, एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. का प्रस्ताव है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) को माननीय न्यायालय के आदेश के तहत वित्तीय लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा जा सकता है ताकि अधिक चालान के निर्धारण सहित वित्तीय पहलुओं का पता लगाया जा सके।

परियोजना। एच. एम. आर. टी. सी./एच. एस. वी. पी. पी. आई. डी. मेट्रो रेल गुरगांव लिमिटेड की नियुक्ति के लिए सहमत हैं।

ईटीसी. वी. हरियाणा मास रैपिड ट्रांस। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. और सभी के पूर्ण सहयोग के अधीन सीएजी

देय ऋण से संबंधित दस्तावेज और अन्य जानकारी सीएजी या इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को एक प्रति के साथ प्रदान की जा सकती है -

एच. एम. आर. टी. सी और एच. एस. वी. पी।

(iii) तीसरा, संक्रमण अवधि के दौरान जिस अवधि के दौरान उक्त मेट्रो लाइनों के संचालन और प्रबंधन को आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. से डी. एम. आर. सी., आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. को हस्तांतरित किया जाएगा, उसने उक्त अवधि के दौरान एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. के एजेंट के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में यह कहा गया है कि इससे और जटिलताएँ पैदा होंगी। एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने बीमा राशि हस्तांतरित कर दी है और पूरा नियंत्रण आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. के पास रहेगा।

इस अवधि में। आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. अपना परिचालन और प्रबंधन जारी रखेंगे। रियायत समझौतों के संदर्भ में और एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. को कोई आपत्ति नहीं है कि आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. को सभी प्राप्त हो सकते हैं।

ओ एंड एम से उत्पन्न होने वाला राजस्व और उससे होने वाले सभी खर्च स्वयं वहन करते हैं और वही भुगतान करते हैं जो वर्तमान में किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. अपने सभी कार्यों और कार्यों के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी रहते हैं जो आम तौर पर उक्त मेट्रो लाइनों के संचालन से जुड़े होते हैं, जो इस समय के दौरान केवल सकल लापरवाही और धोखाधड़ी तक ही सीमित नहीं हैं।

(v) इस निवेदन के संबंध में कि आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. अंतर भुगतान का दावा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखे हुए है, यह बताया जाता है कि आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. इसके लिए विकल्प खुले रखने की कोशिश कर रहे हैं। चुनौती जिसके तहत आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. उपरोक्त विवरण के आलोक में मामले का निपटारा करने के बाद इस पूरे मामले को फिर से उठा सकता है, यानी उस राशि का निपटान करने के बाद जो बकाया हो जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में निहित परिभाषा के संदर्भ में देय ऋण का 80 प्रतिशत।

माननीय न्यायालय। इस प्रकार इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे मुकदमेबाजी की कई गुना वृद्धि होगी और यह इस पूरे मामले में एक गंभीर बाधा हो सकती है। इस मामले का निपटारा माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत किया जा रहा है और इस तरह यह आपको शालीनता से स्वीकार्य होना चाहिए। (vi) कि एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. किसी भी आगे के तर्क के आलोक में आगे कोई भी प्रस्तुतिकरण करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं या

लेखापरीक्षा के दौरान इस मामले में जो तथ्य सामने लाए जा सकते हैं

प्रक्रिया और कार्यवाही की प्रक्रिया "।

17. आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसका एच. एस. वी. पी. और एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा जवाब दिया गया था, फिर उच्च न्यायालय में विचार-विमर्श किया गया। तदनुसार, 20 सितंबर 2019 को डिवीजन बेंच द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि चुनाव लड़ने वाले दलों के वरिष्ठ अधिकारियों, एच. एम. आर. टी. सी. के प्रबंध निदेशक, एच. एस. वी. पी. के मुख्य प्रशासक, आर. एम. जी. एस. एल. के प्रबंध निदेशक और आर. एम. जी. एल. के निदेशक की उपस्थिति में "आम सहमति" बनी थी। इसके बाद, 20 सितंबर 2019 को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा जारी किए गए निर्देश निम्नलिखित शर्तों में थे:

" (i) आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. ने 30 दिनों की अवधि के लिए दोनों मेट्रो लाइनों के संचालन और रखरखाव (संक्षिप्त "ओ एंड एम" के लिए) को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस बीच, प्रक्रिया

नियंत्रण का हस्तांतरण और संचालन का प्रबंधन और

संशोधन, पक्षकारों को इन याचिकाओं में एक उपयुक्त आवेदन (ओं) दायर करके इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी। दोनों पक्षों ने उपरोक्त स्थानांतरण की निगरानी के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक के भुगतान पर उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अनुरोध किया है और इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने

माननीय न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर के नाम का सुझाव दिया।

( ) और प्रत्यर्थी (ओं) ने माननीय का नाम सुझाया है

श्री न्यायमूर्ति वी. के. गुप्ता (सेवानिवृत्त)।

पी. आई. डी. मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा मास रैपिड ट्रांस। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इसमें शामिल कार्य की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि एच. एस. वी. पी. द्वारा माननीय न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर (सेवानिवृत्त) को पारिश्रमिक के रूप में £1 लाख का भुगतान किया जाएगा।

आर. एम. जी. एल.-आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा वी. के. गुप्ता (सेवानिवृत्त) (ii) जहां तक रियायत अनुबंध के तहत परिभाषित "देय ऋण" का संबंध है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (संक्षेप में "सीएजी") को निर्देश जारी किया जाता है कि वे "देय ऋण" के वित्तीय ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की एक टीम नियुक्त करें और एल. आई. एस. के पक्षों द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों की सहायता से एच. एस. वी. पी. द्वारा ऑडिट किए गए "देय ऋण" के ऑडिट के दायरे की जांच करें।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीएजी उपरोक्त कार्य को पूरा करेगा।

30 दिनों की अवधि के भीतर लेखा परीक्षा। (iii) यह निर्देश दिया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 09.09.2019 आदेश के माध्यम से की गई व्यवस्था सौंपने की प्रक्रिया तक जारी रहेगी।

संचालन पूरा हो गया है।

((iv) आगे यह निर्देश दिया जाता है कि देय ऋण की 80 प्रतिशत राशि,

कैग की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा,

एचएसवीपी द्वारा एस्क्रो खाते में जमा किया गया जो होगा एन. सी. एल. ए. टी. या किसी अन्य सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन, प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर

लेखापरीक्षा रिपोर्ट। (v) यह आगे निर्देश दिया जाता है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले एल. आई. एस. के पक्षों के बीच शेष विवादों को उत्तेजित किया जाएगा और मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय लिया जाएगा, जो रियायत अनुबंधों में प्रदान किया गया एक तरीका है।

(vi) यह भी निर्देश दिया जाता है कि इसके लिए जो भी दस्तावेज आवश्यक हैं।

संचालन और प्रबंधन के अंतिम हस्तांतरण का उद्देश्य और संपत्ति, वही आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा एच. एस. वी. पी. को दी जाए।

"देय ऋण" के भुगतान के बाद। 20 सितंबर 2019 के इस आदेश को बाद में संशोधित किया गया था।

4 अक्टूबर 2019 को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में कहा:

" आवेदनों में नोटिस जारी किया गया था जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। हालाँकि, आवेदक (ओं)-प्रत्यर्थी (ओं) द्वारा दिए गए सुझावों को गैर-आवेदक (ओं)/याचिकाकर्ता (ओं) द्वारा स्वीकार किया जाता है और इसलिए,

तीन खंड अर्थात खंड सं। दिनांकित [2021] 3 एस. सी. आर. आदेश का II, V और VI।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20.09.2019 एतद्द्वारा निम्नलिखित सीमा तक स्पष्ट/संशोधित किए जाते हैं: आदेश के पृष्ठ संख्या 12 और 13 पर खंड II में, शब्द

लीज़। सीएजी रियायत समझौते के संदर्भ में एचएसवीपी द्वारा सुझाए गए ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे की भी जांच करेगा।" जहां तक खंड 5 का संबंध है, इसे निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है:

पिछले या भविष्य के दावों/दिनदारियों को मध्यस्थता कार्यवाही में उत्तेजित/तय किया जाएगा, जो रियायत समझौते में प्रदान किया गया एक तरीका है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यस्थता कार्यवाही किसी भी अनुमति के अधीन होगी जिसकी एन. सी. एल. ए. टी. से आवश्यकता हो सकती है। या कोई अन्य सक्षम न्यायालय।

जहाँ तक खंड VI का संबंध है, आर. एम. जी. एस. एल. के प्रबंध निदेशक श्री राजीव बंगा से निर्देश लेने के बाद आवेदक (ओं)-प्रत्यर्थी (ओं) की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील।

और निदेशक आर. एम. जी. एल. ने प्रस्तुत किया है कि इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

VI) यह निर्देश दिया जाता है कि इसके लिए जो भी दस्तावेज आवश्यक हैं।

संचालन और रखरखाव के हस्तांतरण का उद्देश्य है संबंधित, इसे आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा याचिकाकर्ताओं या उनके एजेंट/लाइसेंसधारी डी. एम. आर. सी. को निर्देश सं. I और शेष दस्तावेज जो परिसंपत्तियों के अंतिम हस्तांतरण के लिए हैं, उन्हें आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा देय ऋण के भुगतान के बाद एच. एस. वी. पी. को दिया जाना चाहिए। हालाँकि, इस बीच प्रस्तावित प्रलेखन के संदर्भ में

आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा याचिकाकर्ताओं को रियायत समझौते के बारे में भी सूचित किया जा सकता है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण/संशोधनों के साथ, आवेदन प्रस्तुत करें।

इनका निपटान किया जाता है। इसके अलावा, पक्षों के वकील के संयुक्त अनुरोध पर, कैग को ऑडिट पूरा करने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि पी. आई. डी. मेट्रोइल गुरगांव लिमिटेड ने आदेश दिया है।

ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांस. कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस न्यायालय द्वारा, इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि की गणना करके।

18. 15 अक्टूबर 2019 को, उच्च न्यायालय ने एक विस्तार की अनुमति दी

दिनांक 20 के अपने आदेशों में जारी निर्देशों को लागू करने के लिए दिन

एम. बी. आर. 2019 और 4 अक्टूबर 2019। उच्च न्यायालय ने भी इसे सही किया

प्रतिस्पर्धा करने वाले दलों की सहमति से आदेश, निम्नलिखित में:

" तदनुसार, आवेदनों की अनुमति है।

हालाँकि, श्री पुनीत बाली ने बताया है कि 04.10.2019 दिनांकित आदेश में एक त्रुटि है। उन्होंने आगे कहा है कि इसके बजाय

आदेश को पढ़ने के लिए, "सीएजी इसके दायरे की भी जांच करेगा

एच. एस. वी. पी. द्वारा सुझाए गए देय ऋण का लेखापरीक्षा

रियायत समझौते को "पढ़ा जाए" कैग भी जांच करेगा

दोनों पक्षों द्वारा सुझाए गए देय ऋण की लेखा परीक्षा

दायरा रियायत समझौते की शर्तें "।

19. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ("सीएजी") ने 19 मई 2019 को एक बयान प्रस्तुत किया:

((i) लेखापरीक्षा का दायरा; और

((ii) वितरण और समय-सीमा।

बयान का विवाद पर असर है, और इसलिए है

पूरी तरह से सीटेड:

सत्यापित करें कि देय ऋण का भुगतान संदर्भ के साथ किया गया है

1 .

संबंधित रियायत के नियमों और शर्तों के लिए

अनुबंध और सभी वित्तपोषण समझौते/दस्तावेज जिनका देय ऋण की गणना पर असर पड़ सकता है।

सत्यापित करें कि वित्तीय पैकेज का गठन करने वाली सभी निधियाँ (ऋण)

2 .

और इक्विटी) रियायत प्राप्तकर्ता की पूंजी लागत को पूरा करने के लिए एस्क्रो खाते में जमा/प्राप्त किया गया है। सामान्य ऋण समझौते में निर्धारित मात्रा/अनुपात/प्राथमिकता/प्रक्रिया और देय ऋण की राशि पर प्रभाव का आकलन करना।

सत्यापित करें कि वित्तीय पैकेज की धनराशि, में जमा की गई है

3 .

एस्क्रो खाते का उपयोग परियोजना परिसंपत्तियों के लिए परिभाषित [2021] 3 एस. सी. आर. के रूप में किया गया था।

देय ऋण की राशि। रसीद की पुष्टि करें और जांच करें कि सभी गैर-किराया राजस्व थे

4 .

शासी समझौतों को संदर्भित करने के लिए विधिवत लेखा

इस तरह की आय। इसी तरह, प्रभाव का आकलन करने वाले डी. एम. आर. सी./अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सुलह सहित एस्क्रो खाते में सभी किराया राजस्व की प्राप्ति और जमा को सत्यापित करें।

देय ऋण की राशि पर। सत्यापित करें कि सारी राशि एस्क्रो के क्रेडिट में है

5 .

खाते को विनियोजित किया गया है और रियायत अनुबंध और एस्क्रो में निर्धारित क्रम में निपटाया गया है।

देय ऋण की राशि पर प्रभाव का आकलन करने के लिए समझौता।

सत्यापित करें कि अन्य सभी प्राप्तियां और भुगतान रूट किए गए हैं

6 .

एस्क्रो खातों के माध्यम से। अन्य सभी बैंक खातों की समीक्षा करें।

देय ऋण राशि पर ऐसे खाते के संचालन के प्रभाव का आकलन करने के लिए रियायत अवधि। सत्यापित करें कि वार्षिक रिपोर्टों में निहित जानकारी (अर्थात।

7 .

रियायत पाने वाले के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक की रिपोर्ट और सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट), इस जानकारी का बकाया ऋण की राशि पर जिस हद तक असर पड़ता है, उस पर लागू लेखांकन मानकों और दिशानिर्देशों, विशेष रूप से Ind _ AS 11 का पालन करके निर्णय लिया गया है।

निर्माण अनुबंध, ऋण लागत पर इंड. ए. एस. 23, अमूर्त परिसंपत्तियों पर इंड. ए. एस. 38, ग्राहक अनुबंधों से राजस्व पर इंड. ए. एस. 115।

लेखापरीक्षा में अन्य पहलुओं का सत्यापन शामिल होगा जो हो सकता है

8 .

आवश्यक माने जाने पर, देय ऋण की राशि को सत्यापित करने के लिए लेखा परीक्षा के पाठ्यक्रम को कॉल करें।

उपरोक्त लेखा परीक्षा रियायत अवधि के लिए आयोजित की जाएगी,

9 .

स्थापना के बाद से, लागू मानकों का पालन करते हुए सीएजी/सीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा (अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य सिद्धांतों और जिम्मेदारियों पर 200-299, जोखिम मूल्यांकन और मूल्यांकन किए गए जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया पर 300-499, लेखा परीक्षा पर 500-599)

लेखापरीक्षा नमूने पर एस. ए. 530 पर जोर देने के साथ साक्षय और

600-699 दूसरों के काम का उपयोग करने पर)।

रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांसेज। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और विस्तार प्रभावित होंगे।

10 .

प्राप्त लेखापरीक्षा साक्षय द्वारा। जोखिम मूल्यांकन या समस्या

विश्लेषण किया जा सकता है और लेखापरीक्षा निष्कर्षों के जवाब में आवश्यकतानुसार दायरे को संशोधित किया जा सकता है। बेरोकटोक और लेखा परीक्षक द्वारा प्रासंगिक अभिलेखों/दस्तावेजों तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। अभिलेख प्राप्त करने में कोई भी देरी होगी

लेखा परीक्षा का मार्ग बनाए रखने के लिए अभिलिखित किया जाए।

वितरण और समयसीमा

1 .

कोई भी। लेखा परीक्षक द्वारा तीन वर्षों के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा

2 .

लेखापरीक्षा प्रदान किए जाने की तारीख से महीने। लेखापरीक्षा की समीक्षा के लिए मासिक मूल्यांकन बैठकें आयोजित की जाएंगी

3 .

यदि आवश्यक हो तो लेखा परीक्षा के दायरे को आगे बढ़ाएँ और संशोधित करें।

20. इसके बाद सीएजी ने एक साथ सिविल विविध आवेदन दायर किया।

25 जून 2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष अनुपालन शपथ पत्र के साथ, जिसमें कहा गया था कि उसने एच. एम. आर. टी. सी./एच. एस. वी. पी. और रियायत पाने वालों, आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. के बीच देय ऋण का वित्तीय लेखा परीक्षा करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट, एस. ए. आर. सी. और एसोसिएट्स की एक फर्म नियुक्त की थी। यह नोट किया गया कि सीएजी द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के संदर्भ में, लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा 19 फरवरी 2020 और 24 फरवरी 2020 को ईमेल द्वारा चुनाव लड़ने वाले दोनों दलों को प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि अपीलकर्ताओं ने ईमेल का जवाब दिया था, एच. एम. आर. टी. सी. ने 27 फरवरी 2020 को एक संचार को संबोधित करते हुए कहा था कि चूंकि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, इसलिए इस स्तर पर ऐसा करना मुश्किल था।

परामर्श करना और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे का जवाब देना। इस प्रकार, मसौदे का जवाब देने के लिए चार सप्ताह की अवधि मांगी गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए, कैग ने एक आवेदन दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष आठ सप्ताह के विस्तार की मांग की थी, जिस पर 18 मार्च 2020 को नोटिस जारी किया गया था, जिसे 3 अप्रैल 2020 को वापस किया जा सकता है। इसके बाद, कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन लागू हुआ। कैग ने 18 मार्च 2020 और 22 अप्रैल 2020 को अपने आगे के संचार द्वारा एच. एम. आर. टी. सी. और राज्य सरकार से 29 अप्रैल 2020 तक प्रतिक्रिया मांगी, एक समय सीमा जिसके बाद यह कहा गया कि अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कैग ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि 'देय ऋण' का वित्तीय ऑडिट [2021] 3 एस. सी. आर. द्वारा किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेखा परीक्षक जिन्हें "न्यायालय में पहले प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षा के सीमित दायरे" के अनुसार काम सौंपा गया था। कैग ने कहा कि वित्तीय लेखा परीक्षा को तब अंतिम रूप दे दिया गया था, क्योंकि नहीं

एच. एम. आर. टी. सी. या राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था।

उच्च न्यायालय का 20 सितंबर 2019 का आदेश जिसके अनुसार कैग ने उच्च न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी न्यायालय, जिसमें अपीलकर्ताओं ने निम्नलिखित के लिए निर्देश की मांग की:

(अ)

सी. ए. जी. द्वारा प्रस्तुत सीलबंद आवरण को खोलते हुए जिसमें इसका विवरण होता है

देय ऋण की वित्तीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट

रियायत समझौते; और

देय ऋण का 80 प्रतिशत जमा करने का निर्देश

(ख)

20 सितंबर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश का।

22. 2 सितंबर 2020 को, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया और इसे 10 सितंबर 2020 को सूचीबद्ध किया। 28 सितंबर 2020 को सीलबंद लिफाफा खोला गया और सीएजी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया गया। कैग रिपोर्ट के दायरे की ओर इशारा करती है -

आर. एम. जी. एल. के साथ 9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते के तहत देय ऋण के संबंध में निम्नलिखित उद्धरण में लेखा परीक्षा की गई थी:

" आर. एम. जी. एल. और एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा संचार और प्रस्तुतियों के माध्यम से लेखा परीक्षा के दायरे का सुझाव दिया गया था। सुझाए गए अनुसार लेखापरीक्षा का दायरा

दोनों पक्षों द्वारा जाँच की गई और "देय ऋण" के लेखापरीक्षा के दायरे को तदनुसार निर्धारित किया गया। प्रस्तुतियों और लेखा परीक्षा के दायरे के माध्यम से दिए गए सुझाव, जैसा कि सी. एम. ए. नं. 15397 दिनांक 20 नवंबर 2019 द्वारा

न्यायालय को यह भी सूचित किया गया कि केवल वे मुद्दे जो "देय ऋण" की जांच से संबंधित और प्रासंगिक हैं। रियायत समझौते की जांच की जाएगी। सीएजी द्वारा तय किए गए और न्यायालय को सूचित किए गए लेखापरीक्षा के दायरे को अनुलग्नक 1 बी में रखा गया है। द्वारा प्रदान किए गए दायरे में उल्लिखित मुद्दे

उक्त मेट्रो पर एच. एम. आर. टी. सी. जैसे बोझ और देनदारियाँ

परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में परियोजना, हिस्सेदारी/हिस्सेदारी

रियायत प्राप्त कंपनी, शेयरधारिता में बदलाव, आपराधिक लड़ाई

5 सी. एम.-7881-सी. डब्ल्यू. पी.-2020 पी. आई. डी. मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांसेज। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अधिनियम और देनदारियाँ आदि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर थोपा गया है

कंपनी को विस्तृत फोरेंसिक और तकनीकी ऑडिट की आवश्यकता होती है। यह है।

यह समझ में आया कि इस तरह के ऑडिट जारी हैं। यह लेखा परीक्षा इन तक सीमित है

रियायत में परिभाषित "देय ऋण" की जांच

समझौता "।

23. देय ऋण की गणना में, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना की 1 लागत 1,199 करोड़ रुपये थी, जबकि बजट 1,088 करोड़ रुपये था। चूँकि लागत में वृद्धि ऋण समझौते के तहत ऋणदाताओं द्वारा योगदान किया जाना है, इसलिए इसका बकाया ऋण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए देय ऋण की गणना करने के उद्देश्य से, सी. टी. लागत 1,088 करोड़ रुपये ली गई थी। देय ऋण की गणना में,

ए. डी. आई. टी. रिपोर्ट पर विचार किया गया:

सावधि ऋण का प्रमुख घटक; और

((i) ((ii) सावधि ऋण पर ब्याज घटक।

देय ऋण तक पहुँचने में, वह निष्कर्ष जो इसमें निकाला गया था

रिपोर्ट नीचे निकाली गई है:

लेखा परीक्षा के अनुसार देय ऋण की राशि, जो रिपोर्ट के पहले के अनुभागों में विस्तृत रूप से सीमित दायरे में आयोजित की गई है, रुपये के रूप में निर्धारित की गई है। 797.52 8 सितंबर 2019 तक ब्याज सहित रु। अन्य मामले
जो हमारे ध्यान में आए हैं और बकाया ऋण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं। हमारी रिपोर्ट ऐसे मामलों के परिणाम का विषय है।

आर. एम. जी. एल. का एक इकाई विशिष्ट फोरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है।

ऋणदाताओं द्वारा संचालित।

एन. सी. एल. टी. ने अपनी समाधान कार्यवाही के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2019 को आई. एल. एंड एफ. एस. और इसकी दो सहायक कंपनियों आई. एल. एंड एफ. एस. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड (आई. टी. एन. एल.) और आई. एल. एंड एफ. एस. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आई. एफ. आई. एन.) के खातों को वित्तीय वर्षों 2013-14 से 2017-18 के संबंध में धारा 130 के तहत फिर से खोलने और पुनर्गठित करने का आदेश दिया।

कम्पनी अधिनियम 2013। एक ही आधार है

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आई. एल. एंड एफ. एस. के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई राय का अस्वीकृति। आर. एम. जी. एल. द्वारा संबंधित पक्षों को अनुबंध दिए गए थे, यानी आई. आर. एल. की कीमत Rs.623 करोड़ ([2021] 3 एस. सी. आर. का 52 प्रतिशत) थी।

कुल परियोजना लागत) आई. टी. एन. एल. की सहायक कंपनी है। इसके अलावा, आईएनएल

और आई. आर. एल. आर. एम. जी. एल. में प्रवर्तक हैं।

जनवरी 2019 में नए निदेशक मंडल ने एक शुरुआत की है

अप्रैल से अवधि के लिए तृतीय-पक्ष फोरेंसिक परीक्षा 2013 सितंबर 2018 तक, कुछ कंपनियों के संबंध में

9 पैकेज जो आई. आर. एल. को दिए गए थे, उप थे विभिन्न संबंधित और असंबंधित पक्षों के लिए अनुबंध के रूप में

प्रबंधन द्वारा समझाया गया। इन कंपनियों में शामिल हैं -

आयकर विभाग द्वारा बताई गई अनियमितताएँ आयकर कारण दिखाएँ नोटिस में उल्लेख किया गया है! ! , तारीखः

15.11.2018 , रेफ नं. एडीआईटी (आईएनवी)-3 {4}/कारण सूचना दिखाएँ /

ईएनएसओ/2018-19/251। आय कर की जांच/आकलन

जा रहे हैं।

तालिका 12 दल-वार पैकेज का उप-विभाजन आई. आर. एल. द्वारा अनुबंधित (करोड़ में राशि)

संबंधित पक्ष

उप-अनुबंध

आई. आर. एल. स्तर

आई. ई. सी. सी. एल.

असंबद्ध पार्टियाँ

अन्य

311

अनियमितताओं वाली कंपनियाँ

31

द्वारा इंगित किया गया

आयकर विभाग

संतुलनकारी आंकड़ा

33

कुल

623

हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से निर्धारित उद्देश्य के लिए प्रस्तुत की गई है

इस रिपोर्ट का पहला अनुच्छेद। यह रिपोर्ट केवल इन से संबंधित है

निर्दिष्ट मदें और किसी भी वित्तीय क्षेत्र में लागू नहीं होती हैं।

आर. एम. जी. एल. के बयान, समग्र रूप से लिए गए।

दोसर अपीलार्थी आर. एम. जी. एस. एल. क लेखापरीक्षा रिपोर्टमे ऋणक गणना कयल गेल।

8 सितंबर 2019 तक के ब्याज सहित 1 करोड़ रुपये।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समावेशन नीचे दिया गया है:

ट्रॉल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा मास रैपिड एस. कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 6. निष्कर्ष लेखा परीक्षा के अनुसार देय ऋण की राशि, जो रिपोर्ट के पहले के अनुभागों में विस्तृत रूप से सीमित दायरे में आयोजित की गई है, 8 सितंबर 2019 तक ब्याज सहित 1,1 करोड़ रुपये के रूप में निर्धारित की गई है।

अन्य मामले जो हमारे ध्यान में आए हैं और बकाया ऋण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं। हमारी रिपोर्ट ऐसे मामलों के परिणाम के अधीन है। ऋणदाताओं द्वारा आर. एम. जी. एस. एल. का एक इकाई विशिष्ट फोरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है।

एन. सी. एल. टी. ने अपनी समाधान कार्यवाही के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2019 को इसे फिर से खोलने और पुनः व्यवस्थित करने का आदेश दिया।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 130 के तहत 2017-18 के वित्तीय वर्षों के संबंध में आई. एल. एंड एफ. एस. और इसकी दो सहायक कंपनियों आई. एल. एंड एफ. एस. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड (आई. टी. एन. एल.) और आई. एल. एंड एफ. एस. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आई. एफ. आई. एन.) के खाते। यही वित्त वर्ष 2018-198 के लिए आई. एल. ए. एफ. एस. के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई राय के अस्वीकृति के आधारों में से एक है। यह अनुबंध संबंधित पक्ष के आर. एम. जी. एस. एल. यानी टी. एन. एल. द्वारा दिया गया था। 1,803 (कुल परियोजना लागत का 77 प्रतिशत)। नए निदेशक मंडल ने जनवरी 2019 में समूह की कुछ कंपनियों के संबंध में अप्रैल 2013 से सितंबर 2018 की अवधि के लिए तीसरे पक्ष की फोरेंसिक जांच शुरू की है, जो वर्तमान में चल रही है। यही सांविधिक द्वारा दी गई राय की अस्वीकृति का एक आधार है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आई. एल. एंड एफ. एस. के लेखा परीक्षक।

14 आई. टी. एन. एल. को दिए गए पैकेज, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, विभिन्न संबंधित और असंबंधित पक्षों को उप-अनुबंध किए गए थे।

तालिका 12-आई. टी. एन. एल. द्वारा उप-अनुबंधित पैकेजों का पक्ष-वार विवरण

आई. आर. एल. ने आगे इसे संबंधित पक्षों और अन्य पक्षों को उप-अनुबंध किया जिसमें [2021] 3 एस. सी. आर. के रूप में अनियमितताओं वाली कंपनियां शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उप-अनुबंध

पैकेज

राशि

पार्टियाँ

करोड़ में

नहीं।

संबंधित पक्ष

आई. ई. सी. सी. एल.

367

पी1

पी2, पी2 (ए),

आईआरएल

1025

पी 4-14

असंबद्ध

पार्टियाँ

अन्य

144

पी3

संतुलनकारी आंकड़ा

267

1,803

कुल

आयकर विभाग द्वारा इंगित किया गया है जैसा कि उल्लेख किया गया है

आयकर कारण दिखाएँ नोटिस ', दिनांकः 15.11.2018 , रेफ नं. ADITIINV]-3 (4)/कारण सूचना/ई. एन. एस. ओ/2018 दिखाएँ

19/251 . आयकर की जांच/आकलन जारी है।

तालिका 13-दलवार पैकेज का उप-विभाजन

आई. आर. एल. द्वारा अनुबंधित

(राशि करोड़ में)

हमारी रिपोर्ट पूरी तरह से निर्धारित उद्देश्य के लिए प्रस्तुत की गई है

इस रिपोर्ट का पहला अनुच्छेद। यह रिपोर्ट केवल संबंधित है

विशिष्टताएँ

% में से

कुल

कुल

लागत

लागत खर्च किया गया

संबंधित पक्ष

आईएल एंड एफएस

29

3

तकनीकें

7

आईआरएल

75

595

58

असंबद्ध

पार्टियाँ

सीमेंस

के साथ तुलना करें

66

7

अनियमितताएँ द्वारा इंगित किया गया

विभाग अन्य

221

22

संतुलन फिचर

39

3

1,025

100

निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए और किसी भी वित्तीय स्थिति के लिए नहीं आर. एम. जी. एस. एल. के बयान, समग्र रूप से लिए गए।

24. 10 अक्टूबर 2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया था।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए उत्तरदाताओं की ओर से सलाहकार (योजना) एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा न्यायालय। आपत्ति का सार यह था कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में "महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था. जिनका बकाया ऋण की राशि पर सीधा असर होगा"। शपथपत्र के दौरान, निम्नलिखित परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया था:

रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा मास रैपिड ट्रांस। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अधिनियम की धारा 241 (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए

((i)

2013 और एन. सी. एल. टी. द्वारा दी गई अनुमति के संदर्भ में, केंद्र सरकार ने अपीलार्थियों की मूल कंपनी आई. एल. एंड. एफ. एस. के बोर्ड का पुनर्गठन किया था, जिसके कार्य जनहित के प्रतिकूल थे। 6 दिसंबर 2018 को आर. एम. जी. एल., आर. एम. जी. एस. एल. और सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफ. आई. आर".) दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि समूह की कंपनियों से धन की हेराफेरी की गई थी। जहाँ तक आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. का सवाल है, ऐसे आरोप थे कि नकली चालान लगाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप मेट्रो रेल परियोजना की लागत काफी अधिक थी। डी. एम. आर. सी. की तुलनीय परियोजनाओं की तुलना में अधिक, जिसके परिणामस्वरूप तेज गति से चलने वाली मेट्रो को साल दर साल नुकसान हो रहा था।

नुकसान "भारी पूंजीगत व्यय" पर उच्च ब्याज लागत के कारण हुआ था, जो बदले में

नकली और नकली चालान; आयकर विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं

((ख)

आई. आर. एल. के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए कि समूह की कंपनियाँ नकली संस्थाएं थीं जिन्होंने फर्जी और असुरक्षित माध्यम से धन जुटाया था

ऋण और चालान;

(iii)

गंभीर धोखाधड़ी और जांच कार्यालय (एस. एफ. आई. ओ.) ने

संबद्ध के मामलों की जांच शुरू की आई. एल. एंड एफ. एस. वित्तीय सेवा ("आई. एफ. एस".) और आई. टी. एन. एल. सहित कंपनियाँ; और

(iv) आई. एल. एंड. एफ. एस. के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की गई है।

इस पृष्ठभूमि में, यह आग्रह किया गया कि कैग ने रियायत प्राप्तकर्ता, आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. के खातों का लेखा परीक्षा नहीं किया था।

उनके द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखापरीक्षा के दायरे के साथ। लेखा परीक्षकों ने संकेत दिया था कि बकाया ऋण की राशि विभिन्न मामलों के परिणाम के अधीन है जिसका बकाया ऋण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि लेखा परीक्षा "अधूरी और अनिर्णायक" है।

25. एच. एम. आर. टी. सी. ने लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियों को सारणीबद्ध किया

उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र का पाठ्यक्रम। एच. एम. आर. टी. सी. ने कहा है कि सी. ए. जी. द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखापरीक्षा का दायरा अभी भी अधूरा और अनिर्णायक है।

26. आर. एम. जी. एल. ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें, सबसे पहले, उसने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि उच्च न्यायालय का 20 सितंबर 2019 का आदेश

इसमें उत्तरदाताओं को स्पष्ट रूप से सीएजी रिपोर्ट के 30 दिनों के भीतर बकाया ऋण का 80 प्रतिशत भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया है, और कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

इस स्तर पर रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए दिया गया। दूसरा, यह आग्रह किया गया कि सीएजी द्वारा प्रदान किए गए पर्याप्त अवसरों के बावजूद, एच. एम. आर. टी. सी. ने ऐसा नहीं किया

मसौदा रिपोर्ट पर कोई भी आपत्ति प्रस्तुत की। तीसरा, यह आरोप लगाया गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आपत्तियां परियोजना संख्या 1 की संपूर्णता को सौंप दिए जाने के बावजूद बकाया ऋण का 80 प्रतिशत भुगतान करने के दायित्व को पूरा करने में देरी करने का एक प्रयास है। आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा भी ऐसा ही जवाब दाखिल किया गया था।

27. एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा दायर आपत्तियों के जवाब में कैग द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा भी दायर किया गया था। 28 तारीख के अपने हलफनामे में अक्टूबर 2020 में, सीएजी ने नोट किया:

" कि दोनों पक्षों द्वारा सुझाए गए ऋण के वित्तीय लेखा परीक्षा के दायरे की जांच सीएजी द्वारा संवैधानिक होने के नाते की गई थी

प्राधिकरण और उचित विचार के बाद, किए जाने वाले ऋण की लेखा परीक्षा की गुंजाइश तय की गई और आगे यह निर्णय लिया गया कि सीएजी केवल उन मुद्दों की जांच करेगा, जो रियायत समझौतों के अनुसार देय ऋण की जांच से संबंधित और प्रासंगिक हैं। यह.

यह भी निर्णय लिया गया कि एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा प्रदान किए गए दायरे में उल्लिखित मुद्दे जैसे कि उक्त मेट्रो परियोजनाओं पर बोझ और देनदारियां, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में हिस्सेदारी/हिस्सा।

रियायत पाने वाली कंपनियाँ, शेयरधारिता अधिकारों में परिवर्तन, आपराधिक कार्य और देनदारियाँ आदि जो कंपनी पर थोपे गए हैं।

वर्तमान लेखापरीक्षा से संबंधित नहीं हैं। इन मुद्दों के साथ-साथ अन्य मुद्दे जो आपराधिक कृत्यों आदि से संबंधित परियोजना की व्यवहार्यता पर प्रभाव डाल सकते हैं, जैसा कि एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा कहा गया है, एच. एम. आर. सी. द्वारा अन्य एजेंसियों के माध्यम से या एक अलग फोरेंसिक ऑडिट के माध्यम से ऑडिट/जांच की जा सकती है। सीएजी द्वारा तय किए गए इन तथ्यों और

लेखापरीक्षा के दायरे को इस माननीय न्यायालय में सीएम संख्या 17584 के साथ प्रस्तुत किए गए दिनांक 19.11.2019 के अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से विधिवत प्रस्तुत किया गया था।

2019 की सी. एम. संख्या 15397 में "।

कैग ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि उसने यह सुनिश्चित किया था कि

वह:

((i)

लेखापरीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त फर्म में कोई टकराव नहीं था आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. या आई. एल. एंड एफ. एस. समूह की किसी भी समूह कंपनी के साथ ब्याज; आई. डी. मेट्रो रेल गुरगांव लिमिटेड।

ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड रान्स। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((ख)

लेखा परीक्षकों द्वारा देय ऋण का लेखा-परीक्षण करने के बाद,

कैग कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की गई थी कि 19 नवंबर 2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लेखा परीक्षा के दायरे के संदर्भ में वित्तीय लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी और पूरी की गई थी।

((iii) लेखा परीक्षकों ने ऋण का वित्तीय लेखा-परीक्षण पूरा कर लिया था।

रियायत समझौतों के संदर्भ में देय;

(iv) लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा दोनों पक्षों को 19 फरवरी और 24 फरवरी 2020 को ईमेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद 18 मार्च और 20 अप्रैल 2020 को अनुस्मारक दिए गए थे।

चूंकि एच. एम. आर. टी. सी. से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी और

(v)

राज्य सरकार, वित्तीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और उच्च न्यायालय को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया।

(vi) यह आपत्ति कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट अधूरी थी और

अनिर्णायक में कोई पदार्थ नहीं था। इस संदर्भ में, सी. ए. जी. ने कहा:

" 11 , कि आपत्तियों/प्रतिक्रिया, जैसा कि दिनांक 11.10.2020 के हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, पर विचार किया गया है और निम्नलिखित तथ्यों के कारण इसमें कोई सार नहीं है:

1) भारत का सीएजी, संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते, रियायत समझौते के संदर्भ में देय ऋण के लेखा परीक्षा का दायरा तय करता है और इसे उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया था। 20.11.2019 .

2) यह देय ऋण का वित्तीय लेखा-जोखा है और किया गया है।

लेखा परीक्षकों मेसर्स, एसएआरसी और एसोसिएट्स द्वारा लेखा परीक्षा के सीमित दायरे के अनुसार। लेखा परीक्षकों ने ऋण की राशि पर पहुंचने के लिए सीमित दायरे के अनुसार अपने निष्कर्षों की सूचना दी है।

लागू रियायत समझौतों की शर्तें। यह राशि

देय ऋण की जांच के बाद गणना की गई है

दस्तावेज़ों के साथ-साथ अभिलेखों का सत्यापन, जहाँ भी हो

आवश्यकता है।

3) मसौदा रिपोर्ट एच. एम. आर. टी. सी. के साथ साझा की गई थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

बार-बार अनुरोध करने के बावजूद जवाब दें। तो CAG था

बिना प्रतिक्रिया के रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए विवश

एचएमआरटीसी।

21] 3 एस सी आर।

4) मूल कंपनी आई. एल. एंड. एफ. एस. के बोर्ड के पुनर्गठन और इसके अधिकारियों के खिलाफ जांच जैसे मुद्दों की ओर इशारा किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी, समूह कंपनी को आयकर नोटिस जारी, जांच

एस. एफ. आई. ओ. आदि द्वारा जांच/फोरेंसिक ऑडिट का मामला है और यह वित्तीय ऑडिट का हिस्सा नहीं है। उच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि आपराधिक कृत्यों आदि से संबंधित मुद्दों का एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा अन्य एजेंसियों के माध्यम से या अलग फोरेंसिक ऑडिट के माध्यम से ऑडिट/जांच की जा सकती है।
5) हालाँकि 08 सितंबर 2019 तक बकाया ऋण का पता लगा लिया गया है, लेकिन रिपोर्ट की न तो आवश्यकता थी और न ही विस्तृत जानकारी दी गई थी

किस पक्ष की 'डिफ़ॉल्ट घटना' पर/टिप्पणी करें

हुआ "।

कैग ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि देय ऋण के वित्तीय ऑडिट की रिपोर्ट "कैग द्वारा तय किए गए ऑडिट के दायरे के अनुसार पूर्ण और निर्णायक है" और 19 जून को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। नवंबर 2019 शपथ पत्र पर।

28. 12 अक्टूबर 2020 को, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सलाहकार (योजना) एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा दायर हलफनामे को नोट किया और हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले लिया, साथ ही आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. के प्रस्तुतिकरण पर भी ध्यान दिया कि मामले में "कोई देरी नहीं होती है"। जवाब दाखिल करने की सुविधा के लिए सुनवाई को 16 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 16 दिसंबर 2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू हुई, जब उच्च न्यायालय (एच. एम. आर. टी. सी. और हरियाणा राज्य) के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुरोध पर सुनवाई को 8 अप्रैल 2021 तक के लिए टाल दिया गया।

29. इस स्तर पर, अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं

उच्च न्यायालय द्वारा पारित 12 अक्टूबर 2020 और 16 दिसंबर 2020 के आदेशों को चुनौती देते हुए। इस न्यायालय द्वारा 5 फरवरी 2021 को नोटिस जारी करने का आदेश नीचे दिया गया है:

" 1 श्री मुकुल रोहतगी और श्री पुनीत बाली, विद्वान वरिष्ठ वकील

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए, प्रस्तुत करें कि: (i) उच्च न्यायालय, 20 सितंबर 2019 के अपने आदेश द्वारा

(अनुलग्नक पी-8) ने सीएजी को एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया

याचिकाकर्ताओं को देय ऋण और ऋण का 80 प्रतिशत रिपोर्ट के तीस दिनों के भीतर एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया था; रैपिड मेट्रो गुरगांव लिमिटेड।

ईटीसी. वी. हरियाणा मास रैपिड ट्रांस। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कैग रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का फैसला किया जाना था

((ख)

एक मध्यस्थता कार्यवाही में;

€ (iv) हालांकि कैग द्वारा निर्धारित बकाया ऋण का 80 प्रतिशत तीस दिनों के भीतर एस्क्रो खाते में जमा करना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को 23 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। 2. श्री मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि जो देय राशि होनी है

एस्क्रो खाते में जमा करने से लाभ होगा याचिकाकर्ताओं के सुरक्षित लेनदार जो इसका एक हिस्सा हैं

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड समूह

वर्तमान में एक बोर्ड के प्रबंधन के तहत कंपनियाँ

केंद्र सरकार द्वारा गठित निदेशक। 3. 22 फरवरी 2021 को वापस करने योग्य सूचना जारी करें।

4. दस्ती की भी अनुमति है।"

30. 22 फरवरी 2021 को, दो वित्तीय संस्थानों, आंध्र बैंक और केनरा बैंक को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। द स्पेशल

इसके बाद अनुमति याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया और अंतिम निपटान के लिए लिया गया है। हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और श्री पुनीत बाली, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और आंध्र बैंक और केनरा बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता को सुना है।

बी वकीलों की दलीलें

31. आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और श्री पुनीत बाली ने कहा कि:

((i)

उच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देश

दिनांक 20 सितंबर 2019 पक्षों की सहमति से हैं, उच्च न्यायालय ने दर्ज किया है कि चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एक आम सहमति बनी थी।

पार्टियाँ;

सीएजी की नियुक्ति को समझना होगा

((ख)

9 तारीख के उच्च न्यायालय के पहले के आदेशों की पृष्ठभूमि

सितंबर 2019 और 18 [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सितंबर 2019 में आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. की चिंताओं पर प्रकाश डाला गया कि पक्षों के बीच रियायत समझौतों के संदर्भ में बकाया ऋण का 80 प्रतिशत आवश्यक था।

एच. एस. वी. पी. द्वारा समाप्ति भुगतान के रूप में जमा किया जाना;

इन चिंताओं के जवाब में, एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने

(iii)

के लिए एक लेखा परीक्षक की प्रस्तावित नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की

देय ऋण का निर्धारण, और सीएजी को संदर्भ का प्रस्ताव दिया। एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. विशेष रूप से प्रतिबद्ध

उच्च द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों का पालन करना

न्यायालय, एन. सी. एल. ए. टी. या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही;

((iv) मेट्रो रेल परियोजनाएं, परियोजनाएं संख्या 1 और परियोजना संख्या 2,

जो आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा किए गए थे

बैंकों और वित्त के एक संघ द्वारा वित्त पोषित किया गया था जो निम्नलिखित के निष्पादन के अधीन था: ए। संघ समझौता;

बी। एस्क्रो समझौता;

सी। देय ऋण समझौता; और डी। वित्तीय दस्तावेज;

(v)

इसलिए इसका उद्देश्य और उद्देश्य बकाया राशि को सुरक्षित करना था।

बैंक और वित्तीय संस्थान;

(vi) 9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते के अनुच्छेद 24.4 में एच. एस. वी. पी. द्वारा समाप्ति की स्थिति में विशिष्ट प्रावधान हैं, जबकि अनुच्छेद 24.5। 2 इसमें शामिल हैं

द्वारा समाप्त किए जाने की स्थिति में प्रावधान

रियायतकर्ता, आर. एम. जी. एल.;

(vii) एस्क्रो खाते में देय ऋण का 80 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हितों की रक्षा करने के लिए है जो वित्त पोषण में शामिल थे।

परियोजनाएँ;

(viii) न्यायमूर्ति डी. के. जैन द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में,

परियोजनाओं को एच. एम. आर. टी. सी. को सौंप दिया गया और याचिकाकर्ता ने मेट्रो सेवाओं में व्यवधान को रोकने की आवश्यकता को देखते हुए समाप्ति के बावजूद मेट्रो रेल चलाने पर सहमति व्यक्त की।

(ix) 20 सितंबर 2019 का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पक्षों की सहमति के आधार पर पारित किया गया था, जिसके तहत:

ट्रॉल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा मास रैपिड एस. कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. को संचालन जारी रखना था और

ए।

16 सितंबर 2019 से शुरू होने वाली 30 दिनों के लिए मेट्रो लाइनों का रखरखाव, इस अवधि के दौरान नियंत्रण हस्तांतरण की प्रक्रिया और

दोनों मेट्रो लिंक के संचालन और रखरखाव का प्रबंधन शुरू होना था;

बी।

देय ऋण का निर्धारण सीएजी द्वारा किया जाना था

रियायत समझौतों की शर्तें;

सी. ए. जी. द्वारा निर्धारित किए जाने पर, 80 प्रतिशत

सी।

देय ऋण एच. एस. वी. पी. द्वारा एन. सी. एल. टी. के आदेश के अधीन एस्क्रो खाते में जमा किया जाना था या

30 दिनों के भीतर कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति; और

अन्य सभी विवादों का निर्णय मध्यस्थता में किया जाना था।

डी।

रियायत में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही

समझौते।

एक बार कैग द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, एच. एम. आर. टी. सी. के लिए कोई आपत्ति उठाने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि बकाया ऋण का 80 प्रतिशत 30 दिनों के भीतर एस्क्रो खाते में जमा करना आवश्यक था। उच्च न्यायालय के पास सहमति आदेश की शर्तों को फिर से खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

कैग ने उच्च न्यायालय को लेखा परीक्षा का दायरा प्रस्तुत किया। शुरुआत से ही यह स्पष्ट था कि देय ऋण का निर्धारण करने के लिए लेखा परीक्षा की जानी थी - रियायत समझौते। उच्च न्यायालय

के समक्ष दायर हलफनामे में कैग ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि ऑडिट न तो अधूरा है और न ही अनिर्णायक है और एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा उठाई गई आपत्तियां बिना किसी आधार के हैं।

पदार्थ;

प्रस्तुत किए गए उपरोक्त तथ्यों पर, आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. ने रैपिड मेट्रो लिंक वाली पूरी संपत्ति एच. एस. वी. पी. को सौंप दी है। यह आधार कि आईएल एंड एफएस समूह की कंपनियों के खिलाफ एक प्राथमिकी है, एस्क्रो खाते में देय ऋण का 80 प्रतिशत जमा करने के संविदात्मक दायित्व को विफल करने के लिए एक वैध आधार प्रस्तुत नहीं कर सकता है, जिसमें [2021] 3 एस. सी. आर. है।

उच्च न्यायालय के सहमति आदेश द्वारा पुष्टि की गई। यह राशि आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. में से किसी को भी नहीं दी जाएगी, बल्कि आंध्र बैंक और केनरा बैंक के एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी, जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थान हैं। जमा की गई राशि एन. सी. एल. टी. या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अंतिम निर्देशों का पालन करेगी; और

(xiv) इनमें से एक के खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।

कंपनियाँ।

32. श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं में से च ने प्रस्तुत किया कि:

((i)

आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह के संबंध में जांच चल रही है।

कंपनियों की, और वास्तव में दोनों आर. एम. जी. एल. और

आर. एम. जी. एस. एल. को 'लाल इकाइयों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

((ख)

एफ. आई. आर. संख्या 253 6 दिसंबर 2018 को दर्ज की गई थी, जिसमें

आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. को 21 और 22 नंबरों पर आरोपी के रूप में नामित किया गया है, और नकली चालानों के विशिष्ट आरोप हैं और उनके द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं की लागत डी. एम. आर. सी. परियोजनाओं की तुलना में अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ है।

(iii) उच्च न्यायालय के दिनांक 20 के मूल आदेश के बाद

सितंबर 2019 में, 4 अक्टूबर 2019 को एक संशोधन किया गया था, जिसके संदर्भ में यह परिकल्पना की गई थी कि सीएजी वित्तीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए लेखा परीक्षकों की एक टीम नियुक्त करेगा।

पक्षकारों द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों की सहायता से देय ऋण। इसलिए सी. ए. जी. को एच. एस. वी. पी. द्वारा सुझाए गए ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे की जांच करनी थी।

रियायत समझौतों की शर्तें;

((iv) कैग द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।

यह इंगित करता है कि लेखा परीक्षा प्रकृति में सीमित थी, जो रियायत समझौतों के तहत देय ऋण का पता लगाने तक सीमित थी। दूसरी ओर, लेखापरीक्षा रिपोर्टों के निष्कर्षों से पता चलता है कि "अन्य मामले लेखा परीक्षकों के ध्यान में आए थे जिनका लेखा परीक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था। देय ऋण ":

(v)

एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा दायर की गई विस्तृत आपत्तियाँ इंगित करेंगी।

कि लेखापरीक्षा अधूरी और असंगत है; और रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड।

ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांसेज। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(vi) चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित है, इसलिए अपीलकर्ताओं के लिए इस न्यायालय का रुख करने का कोई कारण नहीं है, और एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पर उठाई गई आपत्तियों को उनकी योग्यता के आधार पर निर्धारित करना होगा।

33. केनरा बैंक और आंध्र बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता ने कहा कि आर. एम. जी. एस. एल., केनरा बैंक के नेतृत्व में संघ ने सुविधाएं प्रदान कीं

26 मार्च 2013 के एक सामान्य ऋण समझौते के तहत एक रुपये की सावधि ऋण सुविधा के रूप में कुल 1,500 करोड़ रुपये। इसके बाद, आर. एम. जी. एस. एल. ने बाहरी वाणिज्यिक उधारकर्ता के साथ-साथ व्युत्पन्न सुविधा का भी लाभ उठाया। अतः पूरक दस्तावेजों के आधार पर 29 सितंबर 2014 को निष्पादित, आर. एम. जी. एल. एस. द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं से 1,109 करोड़ रुपये, भारत से 391 करोड़ रुपये की राशि का लाभ उठाया गया था।

इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड, ईसीबी ऋणदाता (वरिष्ठ ऋण का हिस्सा) के साथ-साथ इंडसइंड बैंक से 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर

एस्क्रो एजेंट के रूप में नियुक्त। यह कहा गया था कि 31 जुलाई 2019 तक आर. एम. जी. एस. एल. के ऋणदाताओं का लगभग 1651 करोड़ रुपये का बकाया था। इसलिए, "हुडा" द्वारा 3 जनवरी 2013 को रियायत समझौते की समाप्ति पर, अब एचएसवीपी, 3 जनवरी 2013 को रियायत समझौते के अनुच्छेद 32.4 के तहत, परियोजना संख्या 2 के ऋणदाताओं को देय ऋण की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। ऋणदाताओं ने न्यायमूर्ति डी. के. जैन के समक्ष यह कहते हुए जवाब दायर किया था कि उन्हें एच. एम. आर. टी. सी. को परिसंपत्तियों को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि ऋण राशि जमा की जाए।

एस्क्रो खाते में ऋणदाताओं को देय राशि। इसलिए, देय ऋण अब लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निर्धारित किया गया है, इसे केनरा बैंक द्वारा बनाए गए एस्क्रो खाते में जमा किया जाना है। इसी तरह, आंध्र बैंक के नेतृत्व वाले संघ ने आर. एम. जी. एल. को परियोजना संख्या 1 के लिए ऋण सुविधा प्रदान की, और एक समान एस्क्रो खाता बनाए रखा। आंध्र बैंक द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया है कि आंध्र बैंक के नेतृत्व वाले संघ के सभी सदस्यों का ऋण 943 करोड़ रुपये था।

34. दोनों बैंकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि परियोजनाओं को ऋणदाताओं से धन का उपयोग करके पूरा किया गया था, जो सबसे बड़े ऋणदाता हैं। हितधारक। दूसरी ओर, एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने [2021] 3 एस. सी. आर. लिए हैं।

परियोजनाओं का स्वामित्व, और डी. एम. आर. सी. से राजस्व का उपयोग कर रहे हैं। केनरा बैंक और आंध्र बैंक द्वारा दायर हलफनामों की सामग्री का समर्थन करते हुए, श्री ध्रुव मेहता ने आग्रह किया कि परियोजनाओं की लागत का 70 प्रतिशत ऋण में शामिल है। इसलिए, बकाया ऋण का 80 प्रतिशत जमा करना परियोजनाओं की लागत का केवल 56 प्रतिशत है। इसके अलावा, एस्क्रो खातों में आने वाली राशि एन. सी. एल. ए. टी. के आदेशों के अधीन होगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि एस्क्रो में जमा होने पर राशि

जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है, उनके हाथों में खाते होंगे।

35. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अब विचार किया जाएगा।

सी रियायत समझौतों का विश्लेषण

36. शुरुआत में, रियायत समझौतों की कुछ मुख्य विशेषताओं का प्रचार करना आवश्यक है। के उद्देश्यों के लिए

चर्चा में, हम 9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते की शर्तों का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह की शर्तें भी इसके भीतर मौजूद हैं। 3 जनवरी 2013 का रियायत समझौता। 9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते के अनुच्छेद 1 में 'देय ऋण' शब्द को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

" देय ऋण का अर्थ है निम्नलिखित राशियों का योग

हस्तांतरण तिथि पर बकाया भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया:

(क) वरिष्ठ द्वारा प्रदान की गई ऋण की मूल राशि

कुल परियोजना लागत ("मूलधन") के वित्तपोषण के लिए वित्तपोषण समझौतों के तहत ऋणदाता, लेकिन मूलधन के किसी भी हिस्से को छोड़कर जो दो साल के पुनर्भुगतान के लिए देय था
समाप्ति तिथि से पहले;

सभी उपार्जित ब्याज, वित्तपोषण शुल्क और देय शुल्क

(ख)

ऊपर उपखंड (क) में निर्दिष्ट ऋण पर या उसके संबंध में वित्तपोषण समझौतों के तहत हस्तांतरण की तारीख तक लेकिन (i) किसी भी ब्याज, शुल्क या शुल्क को छोड़कर जो हस्तांतरण की तारीख से एक साल पहले देय था, (ii) कोई भी

किसी भी वरिष्ठ ऋणदाता के लिए समझौते, और (iii) कोई भी पूर्व-भुगतान ऋण के त्वरित पुनर्भुगतान के संबंध में शुल्क, सिवाय इसके कि प्राधिकरण की चूक के कारण ऐसे शुल्क उत्पन्न हुए हों;

और रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांसेज। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कोई अधीनस्थ ऋण और उस पर उपार्जित सभी ब्याज,

((ग)

जो वित्तीय पैकेज में शामिल है और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार कुल परियोजना लागत के वित्तपोषण के लिए ऋणदाताओं द्वारा वितरित किया जाता है।

उपरोक्त अभिव्यक्ति इंगित करती है कि देय ऋण शब्द में तीन घटक शामिल हैं:

वरिष्ठ द्वारा प्रदान की गई ऋण की मूल राशि

(1)

वित्तपोषण समझौते के तहत ऋणदाता;

सभी उपार्जित ब्याज, वित्तपोषण शुल्क और देय शुल्क

((ख)

वित्तपोषण समझौते के तहत; और

कोई अधीनस्थ ऋण जो वित्तीय व्यवस्था में शामिल हो।

(iii)

पैकेज।

37. अनुच्छेद 3.1 के संदर्भ में, हुडा ने रियायत प्राप्तकर्ता को जीवन निर्वाह के दौरान अनन्य अधिकार, लाइसेंस और अधिकार प्रदान किया। परियोजना को लागू करने के लिए रियायत समझौता और 99 वर्षों की अवधि के लिए रियायत। अनुच्छेद 17.1 के तहत, रियायत प्राप्तकर्ता को

हुडा को उसके द्वारा संभावित ऋणदाताओं को दिए गए वित्तपोषण पैकेज की एक प्रति प्रदान करें। जैसे ही और जब ऋणदाताओं द्वारा वित्तपोषण पैकेज पर सहमति हुई और रियायत समझौते की पुष्टि रियायत प्राप्तकर्ता और ऋणदाता दोनों द्वारा सहमत वित्तपोषण पैकेज पर हस्ताक्षर करके की गई, तो हुडा को तुरंत एक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने के छह महीने के भीतर छह महीने की इलाज अवधि के साथ वित्तीय समापन पूरा किया जाना था, जिसमें विफल रहने पर रियायत समझौते के तहत सभी अधिकार और दावे माफ कर दिए जाने थे। अनुच्छेद 18 एक एस्क्रो खाते का प्रावधान करता है जिसमें सभी धन, जो रियायत प्राप्तकर्ता की पूंजी लागत को पूरा करने के लिए वित्तपोषण पैकेज का गठन करते हैं, जमा किए जाने हैं। परिचालन अवधि के दौरान, सभी किराया और गैर-किराया राजस्व भी रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा

विशेष रूप से एस्क्रो खाते में जमा किए जाने थे। अनुच्छेद 18.2। 1 एस्क्रो खाते से संवितरण के लिए प्रावधान किया गया, जिसमें वरिष्ठ ऋणदाताओं को देय ऋण सेवा भुगतान शामिल थे। अनुच्छेद 18 जहाँ तक प्रासंगिक है, नीचे दिया गया है:

" अनुच्छेद 18

एस्क्रो खाता

18.1 एस्क्रो खाता खोलना और वित्तीय समापन पर एस्क्रो खाते में जमा करना (किसी भी मामले में 30 दिनों [2021] के बाद नहीं) 3 एस. सी. आर.

रियायत प्राप्तकर्ता एक बैंक ("एस्क्रो बैंक") के साथ एस्क्रो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा और वित्तपोषण पैकेज का गठन करने वाले आई. एल. फंड को पूरा करेगा।

रियायत पाने वाले की पूंजीगत लागत संचालन अवधि के दौरान ऐसे एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी, रियायत पाने वाले द्वारा एकत्र किए गए सभी किराया और गैर-किराया राजस्व विशेष रूप से

उसमें अलग से जमा किया गया।

18.2 एस्क्रो खाते से संवितरण

हर महीने निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है और यदि एक महीने में देय नहीं है तो ऐसे महीने में आनुपातिक रूप से विनियोजित किया जाता है और एस्क्रो खाते में रखा जाता है और देय होने पर उस महीने से भुगतान किया जाता है जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से बाद वाला निर्देश:

((i)

रियायत पाने वाले द्वारा देय और देय सभी कर

((ख)

पट्टा के अनुसार हुडा को देय सभी पट्टा शुल्क

समझौता संबंधित और संबंधित सभी खर्च

(iii)

ई. पी. सी. ठेकेदार और ऐसे अन्य व्यक्तियों को भुगतान के माध्यम से रियायतकर्ता के कार्य जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं

वित्तपोषण दस्तावेज

(iv) अधिकतम सीमा के अधीन ओ एंड एम व्यय, यदि कोई हो तो

वित्तीय दस्तावेज हुडा के कारण संपर्क शुल्क और राजस्व हिस्सेदारी

(v)

इस रियायत अनुबंध के तहत रियायत पाने वाले से

(vi) लेखा वर्ष में वरिष्ठ ऋणदाताओं को देय ऋण सेवा भुगतान का मासिक आनुपातिक प्रावधान और भुगतान

देय माह में वरिष्ठ ऋणदाताओं को ऋण सेवा भुगतान

(vii) अधीनस्थ ऋण के संबंध में ऋण सेवा भुगतान; पी. आई. डी. मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड।

ईटीसी. वी. हरियाणा मास रैपिड ट्रांस। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(viii) शर्तों में निपटाने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं का कोई भी भंडार

वित्तीय दस्तावेज।

(ix) के निर्देशों के अनुसार संतुलन

रियायत पाने वाले।

18.2. 2 रियायत प्राप्तकर्ता उप-अनुच्छेद 18.2 में निर्दिष्ट भुगतान के क्रम को किसी भी तरह से संशोधित नहीं करेगा। 1 सिवाय इसके कि

हुडा का पूर्व लिखित अनुमोदन

18.3 एस्क्रो समझौते में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद और उप-अनुच्छेद 25.5 और अनुच्छेद 27 में निहित प्रावधानों के अधीन, इस रियायत अनुबंध की समाप्ति पर, परियोजना एस्क्रो खाते में जमा होने वाली सभी राशियों को विनियोजित किया जाएगा और निम्नलिखित आदेश में निपटाया जाएगा:

(क) रियायत पाने वाले द्वारा देय और देय सभी कर (ख) सभी संपर्क शुल्क/गैर-किराया राजस्व हिस्सा देय और

इस रियायत अनुबंध के तहत हुडा को देय

(घ) द्वारा देय और देय कोई भी भुगतान और नुकसान इस रियायत अनुबंध के अनुसार हुडा को रियायत पाने वाला,

समाप्ति दावों सहित

(ई) सभी उपार्जित ओ एंड एम व्यय; (च) इस रियायत अनुबंध के तहत किए जाने वाले किसी भी अन्य भुगतान की आवश्यकता है; और

(छ) रियायत पाने वाले के निर्देश पर शेष राशि, यदि कोई हो। 18.4 एस्क्रो रियायत अनुबंध में निहित निर्देश निर्धारित दायित्वों तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे।

उप-अनुच्छेद 18.3 को हटा दिया गया है।

38. अनुच्छेद 24 समाप्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24.1। 1 रियायत पाने वाले की ओर से डिफ़ॉल्ट एस निर्धारित करता है। लेख के अनुसार

" 24.4 संचालन अवधि के दौरान चूक की रियायती घटना की घटना के कारण हुडा द्वारा समाप्त होने पर, हुडा पूरी प्रणाली (सभी परियोजना) को अपने हाथ में ले लेगा। परिसंपत्तियाँ), हुडा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के ऋणदाताओं को भुगतान करेगा।

वित्तीय दस्तावेज, समाप्ति भुगतान के रूप में देय ऋण के 80 प्रतिशत के बराबर राशि। इससे पहले होने वाली रियायतकर्ता की चूक के कारण कोई समाप्ति भुगतान देय या देय नहीं होगा।

सीओडी "।

39. अनुच्छेद 24.5। 2 हुडा द्वारा चूक के कारण रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा समाप्ति के परिणामों के लिए प्रावधान:

" 24.5. 2 हुडा की चूक की घटना के कारण रियायत पाने वाले द्वारा बर्खास्त किए जाने पर, हुडा पूरी जिम्मेदारी संभाल लेगा। प्रणाली (सभी परियोजना परिसंपत्तियाँ) और रियायत प्राप्तकर्ता हकदार होंगे।

हुडा से समाप्ति भुगतान के माध्यम से राशि प्राप्त करना

के बराबर:

(क) देय ऋण

(ख) समायोजित इक्विटी का 110% "

तदनुसार, जहां रियायत समझौता किया गया है

रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा चूक के कारण हुडा द्वारा समाप्त, हुडा को पूरी परियोजना और परिसंपत्तियों को संभालने और परियोजना के ऋणदाताओं को भुगतान करने की आवश्यकता थी, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार, समाप्ति भुगतान के रूप में देय ऋण के 80 प्रतिशत के बराबर राशि। जहाँ दूसरी ओर, हुडा द्वारा चूक के कारण रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा समाप्ति की जाती है, रियायत प्राप्तकर्ता समाप्ति भुगतान के माध्यम से प्राप्त करने का हकदार था, जिसके बराबर राशि:

((क) देय ऋण; तथा (ख) समायोजित इक्विटी का 110 प्रतिशत।

अनुच्छेद 24.7 जो समाप्ति भुगतान का प्रावधान करता है, कहता है:

इस प्रकार है:

“ 24.7 समाप्ति भुगतान: समाप्ति भुगतान

इस रियायत अनुबंध के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा की जा रही मांग के तीस दिनों के भीतर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित आवश्यक विवरणों के साथ हुडा द्वारा रियायत

प्राप्तकर्ता को देय और देय हो जाएगा। यदि हुडा 30 (तीस) दिनों के भीतर पूर्ण समाप्ति भुगतान का वितरण करने में विफल रहता है, तो बकाया राशि को ब्याज के साथ वितरित किया जाएगा।

एस. बी. आई. पी. एल. आर. की वार्षिक दर और इस अवधि के लिए दो प्रतिशत

ऐसी राशि में देरी "। रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांसेज। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

40. रियायत समझौते के अनुच्छेद 30 में विवाद का प्रावधान है

संकल्प।

अनुच्छेद 30.2 में एक मध्यस्थता समझौता है, जो इस प्रकार है -

निम्नलिखित हैः

30.2. 1 मध्यस्थता के लिए विवाद विवाद या मतभेद केवल तभी मध्यस्थता के लिए देय होंगे जब सभी

उप-अनुच्छेद 30.1 की शर्तों को पूरा किया जाता है।

डी उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20 सितंबर 2019 के सहमति आदेश की शर्तें

41. एन. सी. एल. टी. के समक्ष 2013 के अधिनियम की धारा 242 के साथ पठित धारा 241 (2) के तहत दायर याचिका के अनुसार, आई. एल. एंड एफ. एस. बोर्ड

1 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार की सिफारिशों पर एक नए बोर्ड की नियुक्ति के साथ इसे हटा दिया गया था। 6 दिसंबर 2018 को आर्थिक अपराध शाखा द्वारा एक प्राथमिकी संख्या 253 दर्ज की गई थी। जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने बताया, आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. को नामित किया गया था एफ. आई. आर. में अभियुक्त संख्या 21 और 22, आरोप नकली चालानों की खरीद के संबंध में है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वित परियोजनाओं की लागत डी. एम. आर. सी. द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं की तुलना में अधिक होने का आरोप लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गुड़गांव में तेजी से मेट्रो लिंक परियोजनाओं को नुकसान हुआ। आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल., जो आई. एल. एंड एफ. एस. समूह से संबंधित हैं

इस प्रकार कंपनियों को "लाल इकाइयों" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 4 फरवरी 2019 को, न्यायमूर्ति डी. के. जैन को एन. सी. एल. टी. द्वारा आई. एल. एंड एफ. एस. समूह के लिए समाधान प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। 7 जून 2019 को, आर. एम. जी. एल. ने अनुच्छेद 24.5 के तहत एच. एस. वी. पी. को 9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते को समाप्त करने के लिए एक नोटिस जारी किया। 1 , नोटिस की अवधि 90 दिन है। आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा अनुच्छेद 32.5 के संदर्भ में इसी तरह की समाप्ति की सूचना जारी की गई थी। 1 3 जनवरी 2013 का रियायत समझौता। आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. ने 1 अगस्त 2019 को एच. एस. वी. पी. को रैपिड मेट्रो लिंक परियोजनाओं के हस्तांतरण को पूरा करने के लिए संचार को संबोधित किया। 26 अगस्त 2019 को, एच. एम. आर. टी. सी. ने आर. एम. जी. एल. को समाप्त करने का नोटिस जारी किया। 9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते के अनुच्छेद 24.1 और 24.2 की शर्तें। आर. एम. जी. एस. एल. को भी ऐसा ही नोटिस जारी किया गया था। अंतरिम में, न्यायमूर्ति डी.

के. जैन को आर. एम. जी. एल. और आर. एम. एस. एल. द्वारा रैपिड मेट्रो लिंक परियोजनाओं के कब्जे को सौंपने के लिए उनकी मंजूरी देने के लिए भेजा गया था। 6 सितंबर 2019 के अपने आदेश द्वारा, न्यायमूर्ति डी. के. जैन ने आर. एम. जी. एल. और [2021] 3 एस. सी. आर. को अनुमति दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. एम. जी. एस. एल. 9 सितंबर 2019 को या उससे पहले एच. एस. वी. पी. को रैपिड मेट्रो लिंक परियोजनाओं का कब्जा और नियंत्रण सौंप देगा। एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने तब संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय का रुख किया:

((i)

समाप्ति के नोटिसों को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र का लेखन दिनांक 7 जून 2019, इस आधार पर कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी की कोई अनुमति नहीं थी, और यह जनहित के खिलाफ था क्योंकि गुड़गांव की रैपिड मेट्रो परियोजना, जो 2013 से चालू थी, 8 सितंबर 2019 को रुक जाएगी; और

((ख)

आदेश का एक रिट निर्देश देता है कि 90 की नोटिस अवधि दिन एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अनुमति दिए जाने से ही शुरू होंगे।

42. न्यायमूर्ति डी. के. जैन द्वारा पारित आदेश पर ध्यान देते हुए उच्च न्यायालय ने 6 सितंबर 2019 के अपने आदेश में आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. को निर्देश दिया।

9 सितंबर 2019 की मध्यरात्रि तक रैपिड मेट्रो रेल का संचालन जारी रखना। 9 सितंबर 2019 को, उच्च न्यायालय ने कहा कि पक्षों के बीच विवाद को बातचीत से हल करना होगा, और इसलिए रोक का आदेश, जिसके तहत आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा तेजी से मेट्रो रेल परियोजनाओं को जारी रखा जाना था, 17 सितंबर 2019 की आधी रात तक जारी रहा। 9 सितंबर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट है कि आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. ने एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा प्रस्तावित चर्चा की शर्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि

एच. एस. वी. पी., अन्य बातों के साथ-साथ सूचीबद्ध:

(क) एच. एस. वी. पी. को परियोजना का समयबद्ध हस्तांतरण और

एच. एस. वी. पी. द्वारा इसे लेने के लिए संबंधित प्रतिबद्धता; और

देय ऋण का कम से कम 80 प्रतिशत भुगतान करने की प्रतिबद्धता।

(ख)

एचएसवीपी द्वारा आरएमजीएल और आरएमजीएसएल को समाप्ति भुगतान के रूप में।

43. 18 सितंबर 2019 को, अपीलकर्ताओं ने प्रस्ताव दिया कि वे 16 अक्टूबर 2019 तक मेट्रो लिंक परियोजनाओं का संचालन जारी रखेंगे।

रियायत समझौतों के संदर्भ में वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत देय ऋण किस अवधि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, रैपिड मेट्रो लिंक परियोजनाओं के हस्तांतरण की प्रक्रिया की निगरानी उच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों द्वारा की जानी थी। दोनों अपीलकर्ताओं ने विशेष रूप से कहा कि यह प्रस्ताव इस शर्त के अधीन था कि एक बार बकाया ऋण निर्धारित हो जाने के बाद, एचएसवीपी को एस्क्रो रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड में निर्धारित बकाया ऋण का 80 प्रतिशत जमा करना होगा।

ईटीसी. वी. हरियाणा मास रैपिड ट्रांस। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

रियायत समझौते, एस्क्रो समझौते के संदर्भ में खाता

और प्रतिस्थापन समझौता। यह स्पष्ट किया गया कि यह प्रस्ताव परियोजनाओं के सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। अपीलार्थियों के उपरोक्त प्रस्ताव का जवाब देते हुए, एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने विशेष रूप से अपनी लिखित प्रतिक्रियाओं में कहा किः

16 को डी. एम. आर. सी. के साथ एक समझौता किया गया था।

((i)

सितंबर 2019 तेजी के संचालन और रखरखाव के लिए

मेट्रो लाइनें;

((ख)

देय ऋण के निर्धारण के संबंध में, इसे जोड़ा गया था

रियायत के तहत अभिव्यक्ति की परिभाषा के लिए

समझौते;

(iii) एच. एम. आर. टी. सी./एच. एस. वी. पी. ने आर. एम. जी. एल./के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

आर. एम. जी. एस. एल. ने कहा कि वास्तविक आंकड़ों का पता लगाने के लिए एक लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है और कहा कि सी. ए. जी. को वित्तीय पहलुओं का पता लगाने और परियोजनाओं के अति चालान का निर्धारण करने का काम सौंपा जा सकता है; और

((iv) देय ऋण का 80 प्रतिशत जमा करना, जैसा कि निर्धारित किया गया है।

एक एस्क्रो खाता लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के परिणाम पर निर्भर करेगा, और एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. "माननीय उच्च न्यायालय या एन. सी. एल. ए. टी. या किसी अन्य न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी अन्य कानूनी कार्यवाही के तहत किसी अन्य आदेश द्वारा पारित निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध और पुष्टि करते हैं।

रियायत समझौते।

44. घटनाओं का उपरोक्त क्रम इंगित करता है कि पूरा क्रम

जो 20 सितंबर 2019 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, वह एक ओर आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. और दूसरी ओर एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. के बीच निरंतर बातचीत का परिणाम था, जो अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के आह्वान से शुरू हुआ था। अब, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही का सहारा एच. एम. आर. टी. सी./एच. एस. वी. पी. द्वारा लिया गया था, जिसने

समाप्ति नोटिस और गुड़गांव में रैपिड मेट्रो लाइनों के संचालन को जारी रखने की मांग की, जो 8 सितंबर 2019 को नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद बंद होने के आसन्न खतरे में थे। घटनाओं के विवरण से यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि शुरू में 6 सितंबर 2019 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के आदेश के परिणामस्वरूप, और उसके बाद आपसी चर्चा के परिणामस्वरूप, आर. एम. जी. एल./[2021] 3 एस. सी. आर.

आर. एम. जी. एस. एल. ने 16 अक्टूबर 2019 तक रैपिड मेट्रो लिंक परियोजनाओं को संचालित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके भीतर डी. एम. आर. सी. को सौंप दिया जाएगा। समान रूप से, रियायत पाने वालों के रूप में आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. की चिंता यह थी कि रियायत समझौतों के संदर्भ में, देय ऋण का 80 प्रतिशत 9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते के अनुच्छेद 24.4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में एस्क्रो खाते में जमा किया जाना था। सभी पक्षों ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष सहमति व्यक्त की कि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए सीएजी का संदर्भ होगा - देय ऋण का निर्धारण करना। उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर 2019 को अपने आदेश के माध्यम से निर्देश जारी किए, जो विशेष रूप से दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आई. ए. एस. श्री डी. सुरेश, प्रबंध निदेशक, एच. एम. आर. टी. सी., मुख्य प्रशासक, एच. एस. वी. पी., श्री राजीव बंगा, प्रबंध निदेशक, आर. एम. जी. एल. और निदेशक, आर. एम. जी. एस. एल. की उपस्थिति में आई. ए. एस. की सहमति से निकले थे। उच्च न्यायालय द्वारा पारित सहमति आदेश में परिकल्पना की गई थी कि:

आरएमजीएल और आरएमजीएसएल तेजी से काम करना जारी रखेंगे।

((i)

16 सितंबर 2019 से 30 दिनों के लिए मेट्रो लाइनें;

((ख)

रैपिड मेट्रो लाइनों के हस्तांतरण की देखरेख इसके द्वारा की जाएगी

उच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीश;

रियायत समझौतों के तहत परिभाषित देय ऋण

(iii)

सीएजी के तत्वावधान में निर्धारित किया जाएगा जो लेखा परीक्षकों की एक टीम नियुक्त करेगा "बकाया ऋण के वित्तीय ऑडिट के लिए और एचएसवीपी द्वारा लेखा परीक्षा के दायरे की जांच करने के लिए पार्टियों द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों की सहायता से";

((iv) लेखापरीक्षा की प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी और देय ऋण का 80 प्रतिशत लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

रिपोर्ट एच. एस. वी. पी. द्वारा एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी, जो रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर एन. सी. एल. ए. टी. या किसी अन्य सक्षम वैधानिक प्राधिकरण के आदेशों के अधीन होगी; और

(v)

पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले बाकी विवाद

लेखापरीक्षा रिपोर्ट, उत्तेजित की जाएगी और मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय लिया जाएगा, जो पहले से ही प्रदान किया गया एक तरीका था

रियायत समझौते।

45. 20 सितंबर 2019 के उच्च न्यायालय के सहमति आदेश में निहित निर्देशों के खंड (ii) से यह स्पष्ट होता है कि रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड।

ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांस. कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कैग द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा दल को देय ऋण का वित्तीय लेखापरीक्षा करनी थी और लेखापरीक्षा के दायरे की जांच करनी थी। अगला महत्वपूर्ण

46. इससे कोई संदेह नहीं बचेगा कि पक्षकार स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि एक बार लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में देय ऋण का पता चलने के बाद, 80 प्रतिशत एचएसवीपी द्वारा एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा, जबकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में शेष विवाद मध्यस्थता द्वारा नियंत्रित होंगे। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर एस्क्रो खाते में राशि जमा करने के लिए 30 दिनों का समय निर्धारित किया गया था। 20 सितंबर 2019 के आदेश के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर 2019 को एक और आदेश पारित किया गया। पहले के आदेश के खंड (ii) को प्रतिस्थापित किया गया था। इसके स्थान पर, यह परिकल्पना की गई थी कि लेखा परीक्षकों को एच. एस. वी. पी. द्वारा सुझाए गए ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे की भी जांच करनी होगी। इसलिए, सीएजी रियायत समझौतों के संदर्भ में एचएसवीपी द्वारा सुझाए गए ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे की भी जांच करेगा। इसके अलावा, यह परिकल्पना की गई थी कि सीएजी रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले बाकी विवाद, दोनों पक्षों द्वारा जारी समाप्ति नोटिसों की वैधता और किसी भी पिछले या भविष्य के दावे/दिनदारियों को मध्यस्थता में उत्तेजित किया जाएगा। 15 अक्टूबर 2019 को, डिवीजन बेंच द्वारा एक और स्पष्टीकरण दिया गया कि सीएजी रियायत समझौतों के संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा सुझाए गए ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे की जांच करेगा। इस प्रकार, दोनों पक्षों द्वारा यह समझा गया कि देय ऋण का निर्धारण रियायत समझौतों के संदर्भ में होगा। कैग विशेष रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया

इसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की समझ। 19 नवंबर 2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष अपने लिखित बयान में, कैग ने कहा कि उसने "हस्तांतरण तिथि पर देय ऋण के वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए" एक लेखा परीक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया था। परिकल्पित शर्तें कार्य के दायरे को परिभाषित करती हैं।

लेखा परीक्षक का होना:

शर्तों के संदर्भ में देय ऋण का सत्यापन

((i)

और रियायत समझौतों की शर्तें और सभी वित्तपोषण समझौतों/दस्तावेजों का जिन पर प्रभाव पड़ता है

देय ऋण की गणना; सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 3 एस सी आर।

सत्यापन कि वित्तीय पैकेज का गठन करने वाली सभी निधियाँ

((ख)

पूंजी लागत को पूरा करने के लिए ऋण और इक्विटी दोनों को एस्क्रो खाते में जमा और प्राप्त किया गया था;
सत्यापन कि वित्तीय पैकेज की निधियाँ थीं

(iii)

रियायत में परिभाषित परियोजना परिसंपत्तियों के लिए उपयोग किया गया

समझौतों और देय ऋण पर उनका प्रभाव;
सत्यापन कि सभी गैर-किराया राजस्व का विधिवत हिसाब रखा गया था

((iv)

और यह कि सभी किराया राजस्व एस्क्रो खाते में जमा किए गए थे;

(v)

सत्यापन कि ऋण में जमा की गई राशि

एस्क्रो खाते को आदेश में विनियोजित किया गया था

एस्क्रो समझौते में निर्धारित;

(vi) सत्यापन कि अन्य सभी प्राप्तियां और भुगतान एस्क्रो खाते के माध्यम से किए गए थे, साथ ही अपीलकर्ताओं द्वारा बनाए गए/संचालित अन्य सभी बैंक खातों की समीक्षा; और

(vii) अपीलार्थियों की वार्षिक रिपोर्टों में जानकारी थी -

लागू मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करके पहुंचे।

ऋण का भुगतान करने के लिए एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. की ई. बाध्यताएँ

47. एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. के साथ-साथ अपीलार्थियों को भी अवगत कराया गया।

सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपे जाने के सभी भौतिक समय पर

उसके द्वारा नियुक्त एक फर्म। 24 फरवरी 2020 को आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. के देय ऋण के वित्तीय लेखा परीक्षा की एक मसौदा रिपोर्ट प्राचार्य को भेजी गई थी। हरियाणा सरकार के नगर और ग्राम योजना विभाग में सचिव। एच. एम. आर. टी. सी. से राज्य सरकार की ओर से अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया था, ताकि इसे रिपोर्ट में शामिल किया जा सके। 27 फरवरी 2020 को, एच. एस. वी. पी. ने चार सप्ताह की मांग की

कम से कम, राज्य विधानसभा के चल रहे सत्र को देखते हुए। महालेखापरीक्षक लेखा परीक्षा, हरियाणा ने 18 मार्च 2020 और 22 अप्रैल 2020 के बाद के संचार द्वारा पहले के ईमेल का अनुसरण किया। बाद में कैग की ओर से राज्य सरकार से 29 की समय सीमा से पहले जवाब देने का अनुरोध किया गया था

अप्रैल 2020, जिसमें विफल रहने पर उनकी प्रतिक्रिया को शामिल किए बिना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि, एच. एम. आर. टी. सी., एच. एस. वी. पी. और राज्य सरकार ने मसौदा रिपोर्ट पर अपना जवाब नहीं दिया।

आखिरकार, ऑडिट रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांसेज। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

रियायत के तहत देय ऋण के संबंध में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया क्रमशः आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल. के साथ समझौते, और उच्च न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में रखे गए थे। अपीलार्थियों द्वारा एक आवेदन पर सीलबंद लिफाफा खोले जाने के बाद, 10 अक्टूबर 2020 को एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा एक हलफनामे के रूप में एक आपत्ति उठाई गई, जैसा कि इस फैसले के पहले भाग में देखा गया था। एच. एम. आर. टी. सी. के अनुसार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनिर्णायक और अधूरी थी, क्योंकि इसके कई पहलू होंगे -

देय ऋण पर प्रभाव निर्धारित किया जाना बाकी है। अब, इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लेखा परीक्षकों ने कहा कि सीएजी द्वारा तय किए गए लेखा परीक्षा के दायरे को 19 नवंबर 2019 को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, और यह सूचित किया गया था कि केवल वे मुद्दे जो रियायत समझौतों के तहत देय ऋण की जांच से संबंधित हैं, उनकी जांच की जाएगी। इसलिए, एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा उल्लिखित अन्य मुद्दों, जैसे कि मेट्रो परियोजना पर बोझ और देनदारियां, रियायत प्राप्तकर्ता की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में हिस्सेदारी/हिस्सेदारी, हिस्सेदारी अधिकारों में परिवर्तन, आपराधिक कृत्य और देनदारियों के लिए फोरेंसिक और तकनीकी ऑडिट की आवश्यकता होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के ऑडिट स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं। इसमें सीएजी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया लेखापरीक्षा, रियायत में परिभाषित देय ऋण की जांच करने तक सीमित था। समझौते। देय ऋण के मूलधन और ब्याज घटक पर पहुँचते समय, लेखा परीक्षकों ने संकेत दिया कि अन्य मामले उनके ध्यान में आए थे, जिनका देय ऋण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, और यह कि रिपोर्ट ऐसे मामलों के परिणाम के अधीन थी। इनमें शामिल हैं:

एक इकाई विशिष्ट फोरेंसिक ऑडिट जो द्वारा संचालित किया जाता है

((i)

ऋणदाता;

((ख)

एन. सी. एल. टी. द्वारा 1 जनवरी 2019 को फिर से खोलने के लिए आदेश पारित किया गया

आई. एल. एंड. एफ. एस. और इसकी दो सहायक कंपनियों (आई. एन. टी. एल. और आई. एफ. आई. एम.) के खातों का पुनर्गठन करना।

(iii)

जनवरी 2019 में नए बोर्ड द्वारा तीसरे की शुरुआत अप्रैल 2013 से सितंबर 2018 के बीच की अवधि के लिए कुछ कंपनियों के संबंध में पार्टी फोरेंसिक परीक्षा

समूह; और

(iv) आई. आर. एल. द्वारा कंपनियों सहित विभिन्न संबंधित और असंबंधित पक्षों को नौ पैकेजों का उप-अनुबंध, अनियमितताओं के साथ 15 नवंबर 2018 को आयकर विभाग द्वारा जारी कारण बताने के लिए एक नोटिस में इंगित किया गया है।

वास्तव में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल का यह निवेदन कि सीएजी के तत्वावधान में लेखा परीक्षा अधूरी और अनिर्णायक है

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निहित उपरोक्त विवरणों के आधार पर अन्य मामलों पर ध्यान दिया जाता है जिनका देय ऋण पर प्रभाव पड़ सकता है।

48. अब इस पृष्ठभूमि में न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय के सहमति आदेश में परिकल्पित परिणाम हैं

जून और अगस्त 2019 के नोटिस और उसके बाद रिट कार्यवाही की स्थापना हुई। स्पष्ट रूप से एक ओर अपीलकर्ता, साथ ही दूसरी ओर एच. एस. वी. पी./एच. एम. आर. टी. सी., 19 अगस्त 2019 को न्यायमूर्ति डी. के. जैन के समक्ष कार्यवाही में आई. एल. एंड एफ. एस. समूह की कंपनियों के संबंध में हो रहे विकास से अवगत थे। जब उच्च न्यायालय के समक्ष सहमति आदेश पारित किया गया था, तो एचएसवीपी का प्रतिनिधित्व वकील के साथ-साथ एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक ने किया था और एच. एम. आर. टी. सी. के प्रबंध निदेशक भी उपस्थित थे। आंध्र बैंक सहित वित्तीय संस्थान भी उपस्थित थे। 20 सितंबर 2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष सहमति आदेश से पहले पक्षों के बीच आपसी चर्चा और लिखित प्रस्तावों का आदान-प्रदान भी किया गया था। जिनका उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय के सहमति आदेश में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

जिस तरह से 'देय ऋण' अभिव्यक्ति होगी

((i)

निर्धारित किया गया;

((ख)

जिस तरीके से लेखापरीक्षा रिपोर्ट का दायरा होगा

निर्धारित किया जाए; और

लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए निर्धारण का परिणाम

(iii)

सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

49. 20 सितंबर 2019 के आदेश के खंड (ii) में यह स्पष्ट किया गया है कि मूल उद्देश्य

सी. ए. जी. का संदर्भ "रियायत अनुबंध के तहत परिभाषित" देय ऋण का निर्धारण था। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही से वंचित कर दिया गया था।

आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. द्वारा जारी समाप्ति के नोटिसों को चुनौती देने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेट्रो संचालन की समाप्ति से 90 दिनों की सूचना अवधि की समाप्ति पर जो परिणाम निकलेगा, संविधान और उसके रिट क्षेत्राधिकार को लागू किया गया था, वह रैपिड मेट्रो गुरगांव लिमिटेड, ई. टी. सी. v. हो सकता है।

हरियाणा मास रैपिड ट्रांस। कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सार्वजनिक विधि अधिकारिता के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा रोका गया। समाप्ति की सूचना जारी करना, इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिणाम और विवादों का समाधान विशेष रूप से पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते में प्रदान किया जाता है, जो रियायत समझौतों का एक आंतरिक हिस्सा है। इसलिए, एक ओर जनहित के इस तत्व और दूसरी ओर रियायत समझौतों के लिए पक्षों के संविदात्मक अधिकारों के बीच एक स्पष्ट अंतरफलक था। हालांकि, जब एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने उच्च न्यायालय का रुख किया

अनुच्छेद 226 के तहत, उन्होंने ऐसा आसन्न खतरे को देखते हुए किया, जो तेजी से मेट्रो संचालन के क्षितिज पर बड़ा था, जो समाप्ति से पहले 90 दिनों की सूचना की निकटवर्ती समाप्ति के परिणामस्वरूप रुका हुआ था। संजना एम. विग बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा के माध्यम से बोलते हुए कहा है:

" 12. विचार के लिए जो प्रमुख प्रश्न उत्पन्न होता है वह है -

क्या एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार को अस्वीकार कर दिया जाएगा

केवल एक वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व के आधार पर प्रयोग किया गया

13. हालांकि, सार्वजनिक कानून उपचार के माध्यम से न्याय तक पहुंच से इनकार नहीं किया जाएगा जब एक एल. आई. एस. में सार्वजनिक कानून का चरित्र शामिल होता है और जब पक्षों द्वारा चुना गया मंच एक में नहीं होता है उचित
राहत देने की स्थिति।

[.....]

18. यह सच हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में जब पक्ष की कोई कार्रवाई किसी समझौते में निहित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करती है और उसके लिए बनाए गए घरेलू मंच के दायरे और दायरे से बाहर भी होती है, तो रिट याचिका को बनाए रखने योग्य माना जा सकता है; लेकिन निर्विवाद रूप से इसके लिए ऐसा मामला बनाया जाना चाहिए। यह भी सच हो सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने अमृतसर गैस सेवा [(1991) 1 एस. सी. सी. 533] और ई. वेंकटकृष्ण [(2000) 7 एस. सी. सी. 764] में कहा है कि मध्यस्थ के पास प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वितरण की बहाली का निर्देश देने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है। विनिर्दिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 में निहित; लेकिन ऐसे मामले में भी एक रिट याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि यदि एक अनुबंध अनुबंध से उत्पन्न होने वाला तथ्य का एक गंभीर विवादित प्रश्न शामिल है, तो आम तौर पर एक रिट।

याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, एक रिट याचिका होगी

इसमें सार्वजनिक कानून के कार्यों से उत्पन्न होने वाला प्रश्न शामिल है उत्तरदाता का "।

(जोर दिया गया)

वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से चिंतित था

जनहित का एक मौलिक मुद्दा, जो उन यात्रियों के लिए कठिनाई थी जो गुड़गांव में बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए एक वाहन के रूप में रैपिड मेट्रो का उपयोग करते हैं। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा अपने रिट का प्रयोग

वर्तमान मामले में अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र उचित था क्योंकि गैर-हस्तक्षेप, जो अनिवार्य रूप से गुड़गांव के लिए तेजी से मेट्रो लाइनों के व्यवधान का कारण बनता, के आम जनता के लिए विनाशकारी परिणाम होते। हालांकि, प्रचुर सावधानी के उपाय के रूप में, हम स्पष्ट करते हैं कि आम तौर पर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में विवाद को स्वीकार करने से इनकार कर देगा जो मध्यस्थता योग्य है। इसके अलावा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत या तो अधिकार क्षेत्र में निहित न्यायालय के समक्ष धारा 9 के तहत या स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 17 के तहत अंतरिम निर्देश लेने के लिए उपाय उपलब्ध हैं।

50. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समाप्ति

समझौते में निहित प्रावधानों के संदर्भ में रियायत समझौतों के परिणाम थे, जिसमें अनुच्छेद 24.4 के तहत देय ऋण का 80 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता थी। चुनाव लड़ने वाले दलों ने एक स्वतंत्र के लिए सहमति व्यक्त की एक तटस्थ इकाई, अर्थात् सीएजी द्वारा इस राशि का तीसरा पक्ष निर्धारण। सी. ए. जी. का प्राथमिक कार्य देय ऋण की वित्तीय लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों की एक टीम नियुक्त करना था और इस प्रक्रिया में -

लेखापरीक्षा के दायरे की भी जांच करें। उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर 2019 और 15 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए आदेशों में यह भी परिकल्पना की गई थी कि सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे की जांच करेगा। जबकि 4 अक्टूबर 2019 के पहले के आदेश में सीएजी को एचएसवीपी द्वारा सुझाए गए ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे की जांच करने की आवश्यकता थी, 15 अक्टूबर 2019 के बाद के आदेश में दोनों पक्षों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा के दायरे पर सीएजी द्वारा जांच की आवश्यकता थी।

समझौता "। "रियायत समझौते के संदर्भ में" अभिव्यक्ति इंगित करती है कि लेखा परीक्षा का आधार वही होना था जिसकी परिकल्पना में की गई थी

रियायत समझौते, जो विशेष रूप से "देय ऋण" अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हैं। उल्लेखनीय है कि 20 सितंबर 2019 का मूल क्रम निर्दिष्ट करता है कि

बिसरा लाइम स्टोन कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा एस. ई. बी., (1976) 2 एस. सी. सी. 167 रैपिड मेट्रोइल गुड़गांव लिमिटेड।

ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांस. कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निश्चित समय-सारणी जिसके भीतर लेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किए जाने पर देय ऋण का 80 प्रतिशत एचएसवीपी द्वारा जमा किया जाएगा।

7

बिसरा लाइम स्टोन कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा एस. ई. बी., (1976) एस्क्रो खाते में 2 एस. सी. सी. 167। हालाँकि यह इस सुरक्षा के अधीन था कि यह किसी भी आदेश के अधीन होगा जो एन. सी. एल. ए. टी. या किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पारित किया जा सकता है। हालांकि, यह आगे स्पष्ट किया गया कि

लेखा परीक्षा रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले एल. आई. एस. के पक्षों के बीच शेष विवादों को मध्यस्थता कार्यवाही में उत्तेजित किया जाना था।

51. यह प्रावधान, जो संचालन के खंड (v) में सन्निहित है।

20 सितंबर 2019 के उच्च न्यायालय के सहमति आदेश के निर्देश एक उचित व्याख्या करने में सक्षम हैं कि एक बार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निर्धारण किए जाने के बाद, 80 प्रतिशत एचएसवीपी द्वारा एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा और यदि लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उत्पन्न कोई विवाद बना रहता है, तो उसे मध्यस्थता में हल किया जाएगा। वास्तव में, 4 अक्टूबर 2019 के बाद के आदेश ने खंड (v) को इस परिकल्पना के साथ प्रतिस्थापित किया कि पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले शेष विवादः

सीएजी रिपोर्ट;

((i) (

(ख)

दोनों द्वारा जारी समाप्ति सूचनाओं की वैधता

पक्षकार; और

किसी भी अतीत या भविष्य के दावों/दिनदारियों को उत्तेजित किया जाएगा।

(iii)

और मध्यस्थता कार्यवाही में निर्णय लिया।

52. एक ओर एच. एस. वी. पी. और एच. एम. आर. टी. सी. और दूसरी ओर आर. एम. जी. एल./आर. एम. जी. एस. एल.

दूसरी ओर, जब उन्होंने उच्च न्यायालय को 20 सितंबर 2019 के अपने आदेश को पारित करने के लिए आमंत्रित किया, और 4 अक्टूबर के आदेशों द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति व्यक्त की, तो वे लंबे समय तक चर्चा में रहे।

2019 और 15 अक्टूबर 2019। मनीष मोहन शर्मा बनाम राम बहादुर ठाकुर लिमिटेड मामले में न्यायमूर्ति रूमा पाल के माध्यम से बोलते हुए इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है:

केवल अनुबंध और एक आदेश और एक दोनों के तत्व हैं अनुबंध। (देखिए: वेंटवर्थ वी. बुलेन 141 ईएलआर 769; सी. एफ. अंगड़ी बनाम

वाई. एस. हिरन्नय्या [1972] 2 एस. सी. आर. 515)। जैसा कि प्रिवी ने कहा था

परिषद ने 1929 की शुरुआत में कहा था, "इस संबंध में एकमात्र अंतर है। सहमति से किए गए आदेश और ऐसा नहीं किए गए आदेश के बीच यह है कि

पहला तब तक खड़ा रहता है जब तक कि इसे आपसी समझौते द्वारा निर्वहन नहीं किया जाता है।

या न्यायालय के किसी अन्य आदेश द्वारा अलग कर दिया जाता है; दूसरा तब तक रहता है जब तक कि इसे किसी अपील पर आरोपमुक्त नहीं कर दिया जाता है (देखें - चार्ल्स ह्यूबर्ट

किन्च वी। एडवर्ड कीथ वॉलकॉट और ओआरएस।) . "

उच्च न्यायालय के आदेश में निहित स्पष्ट शर्तों के बावजूद, परिणामों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।

उपरोक्त में निहित दिशाओं से बाहर काम करने से निकलता है

और ए. एस. (उपमहानिदेशक (प्रशासन) ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्षों द्वारा सुझाए गए ऋण के वित्तीय ऑडिट के दायरे की जांच करने के बाद निर्णय लिया गया कि सीएजी केवल उन मुद्दों की जांच करेगा

जो रियायत समझौतों के तहत देय ऋण की जांच से संबंधित और प्रासंगिक हैं। सी. ए. जी. ने एक ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जो उचित है:

लेखापरीक्षा के दायरे पर बयान देने से पहले

((i)

उच्च न्यायालय अग्रिम रूप से;

((ख)

पक्षकारों द्वारा सुझाए गए लेखापरीक्षा के दायरे की जांच करना अपना निर्णय लेने से पहले;

((ग) उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों की एक फर्म की नियुक्ति;
((iv) प्रतियोगी समानताओं को मसौदे की एक प्रति प्रस्तुत करना।

रिपोर्ट करें;

(v) पक्षों को मसौदे पर अपना जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति देना।

रिपोर्ट करें;

(vi) हरियाणा राज्य को समय का विस्तार देने के लिए

अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें; और

(vii) राज्य को इस सूचना पर रखना कि उसे अंततः एक निर्धारित समय सीमा तक अपनी आपत्तियां दायर करनी होंगी, जिसमें विफल रहने पर

रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

54. यदि एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. ने अपना जवाब जमा नहीं किया तो वे खुद दोषी हैं। कैग ने विशेष रूप से एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आपत्तियों का इस आधार पर खंडन किया है कि संवैधानिक प्राधिकरण, कैग ने रियायत समझौतों के संदर्भ में ऋण के लेखा परीक्षा के दायरे पर निर्णय लिया, जिसे उसने रैपिड मेट्रोइल गुरगांव लिमिटेड को प्रस्तुत किया।

ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांस. कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उच्च न्यायालय। इसके अलावा, इसने स्पष्ट किया है कि यह बकाया ऋण का एक वित्तीय लेखा परीक्षा थी और लेखा परीक्षकों ने रियायत समझौतों के संदर्भ में अपने निष्कर्षों की सूचना दी। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी, आयकर विभाग का नोटिस, एस. एफ. आई. ओ. द्वारा की गई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट कैग द्वारा किए गए वित्तीय ऑडिट का हिस्सा नहीं थे। कैग ने प्रस्तुत किया है कि बकाया ऋण का वित्तीय लेखा परीक्षा पूर्ण और निर्णायक है जैसा कि कैग द्वारा तय किया गया है, और उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है। 55. यह याद रखना उचित है कि विचाराधीन परियोजनाओं को बैंकों के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिनमें केनरा भी शामिल है।

बैंक और आंध्र बैंक। रियायत समझौतों की शर्तों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि परियोजनाओं को सार्वजनिक रूप से वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि अनुपात

छह महीने की उपचार अवधि के भीतर छह महीने के भीतर बंद नहीं होना था। इसके अलावा, अनुच्छेद 18.1 में यह परिकल्पना की गई है कि रियायत प्राप्तकर्ता की पूंजी लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय पैकेज का गठन करने वाली सभी निधियों को संचालन की अवधि के दौरान एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा, और रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा एकत्र किए गए सभी किराया और गैर-किराया राजस्व विशेष रूप से इसमें जमा किए जाएंगे। अनुच्छेद 18.2 के तहत, रियायत प्राप्तकर्ता को एस्क्रो खाता खोलते समय एस्क्रो बैंक को अपरिवर्तनीय निर्देश देने की आवश्यकता थी कि एस्क्रो खाते में जमा राशि को अनुच्छेद 18.2 के खंड (i) से (ii) में बताए गए तरीके से विनियोजित किया जाएगा। 1 . इसमें ऋण सेवा भुगतान का प्रावधान शामिल है। ये रियायत समझौते के प्रावधानों का वर्तमान विवाद के विषय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। केनरा बैंक ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कहा है कि ऋणदाताओं के संघ की ओर से, सुविधा एजेंट के रूप में कार्य करते हुए, उसने एक सामान्य ऋण समझौते के संदर्भ में आरएमजीएसएल को कुल 1500 करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया। एस्क्रो खाता समझौता रियायत समझौते के अनुसरण में और परियोजना संख्या 2 के वित्तपोषण को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। 31 जुलाई 2019 तक आर. एम. जी. एस. एल. के ऋणदाताओं पर लगभग 1651 करोड़ रुपये का बकाया है। इसलिए, आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल., [2021] 3 एस. सी. आर. द्वारा निष्पादित की गई परियोजनाएं।

इसमें आंध्र बैंक और केनरा बैंक से धन का परिव्यय शामिल है, जिनकी परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

56. इस प्रकार, एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. इस स्तर पर टाल नहीं सकते हैं।

रियायत समझौतों में निहित प्रावधानों द्वारा समाप्ति के परिणामस्वरूप देय ऋण का 80 प्रतिशत जमा करने के अपने दायित्व के प्रति सचेत थे। वे सीएजी की भागीदारी की मांग करके बकाया ऋण के निर्धारण का आश्वासन देना चाहते थे। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक गंभीर प्रतिबद्धता व्यक्त की कि निर्धारण के 30 दिनों के भीतर, बकाया ऋण का 80 प्रतिशत एस्क्रो खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह राशि आर. एम. जी. एल. या आर. एम. जी. एस. एल. को नहीं सौंपी जा रही है, जिन्हें वर्गीकृत किया गया है। आई. एल. एंड एफ. एस. समूह की "लाल इकाइयों" के रूप में।

एस्क्रो खाते में देय ऋण के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि की नियुक्ति ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए है जो हो सकता है

एन. सी. एल. ए. टी. या किसी अन्य सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। इस प्रावधान के अलावा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत या तो धारा 9 के तहत सक्षम न्यायालय के समक्ष या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उपचार उपलब्ध हैं। इसलिए, एक समझौता है

पक्षों के बीच, एच. एस. वी. पी. और एच. एम. आर. टी. सी. को अपने दायित्वों के अनुपालन में बाधा डालने या देरी करने की अनुमति देना तीन कारणों से स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होगा:

((i) सबसे पहले, 80 प्रतिशत बकाया ऋण जमा करने की बाध्यता

समाप्ति का परिणाम अनुच्छेद 24 से निकलता है।

9 दिसंबर 2009 के रियायत समझौते का; दूसरा, ऋण का 80 प्रतिशत जमा करने की बाध्यता।

((ख) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निर्धारित देय राशि को एच. एस. वी. पी./एच. एम. आर. टी. सी. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से ग्रहण किया गया है, जिससे वे सार्वजनिक निकायों के रूप में नहीं हो सकते हैं।

रीसाइल करने की अनुमति दी गई; और रैपिड मेट्रो गुरगांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांस. कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तीसरा, यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण जनहित तत्व है

(iii)

कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जो धन दिया जाता है, वह है

रियायत समझौतों के संदर्भ में उन्हें आश्वस्त किया गया।

57. अंतर्निहित गलत काम जो कथित रूप से किया गया था

आई. एल. एंड. एफ. एस. के पूर्व प्रबंधन में प्रवर्तकों द्वारा की गई जांच की निस्संदेह आवश्यकता है। फोरेंसिक ऑडिट को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, एस. एफ. आई. ओ. द्वारा और कानून प्रवर्तन तंत्र द्वारा जांच को इसके तार्किक निष्कर्ष का पालन करना चाहिए। एन. सी. एल. टी. समाधान प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है और सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड अब इसका प्रभारी है।

आई. एल. एंड एफ. एस. का प्रबंधन। समान रूप से, वाणिज्यिक अनुबंधों की पवित्रता के आधार पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा की गई वित्तीय व्यवस्थाओं का विधिवत पालन किया जाना चाहिए। इस पहलू पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह जनहित के एक महत्वपूर्ण तत्व का भी प्रतीक है। टिप्पणीकारों ने नोट किया है कि, "ऋण वसूली में देरी न केवल उच्च प्रावधानों की ओर ले जाती है और कम हो जाती है लाभप्रदता लेकिन बैंकों की ऋण देने की क्षमता को भी बाधित करती है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जब तक कि वित्तीय देय राशि का आश्वासन नहीं दिया जाता है

रियायत समझौतों में परिकल्पित व्यवस्थाओं के हिस्से के रूप में संस्थानों को विधिवत लागू किया जाता है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की संरचना खतरे में पड़ सकती है। एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. जैसे किसी अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार करके इस तरह के परिणाम से बचा जाना चाहिए, जो इसे अपने दायित्वों से पीछे हटने की अनुमति देता है। ये दायित्व उत्पन्न होते हैं।

न केवल रियायत समझौतों के संदर्भ में, बल्कि उच्च न्यायालय के समक्ष गंभीरता से ग्रहण किया गया है। इसलिए, दोनों मामलों में, एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. को रीसाइल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

58. के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का हस्तक्षेप

अपीलार्थी का निवेदन कि "मामले में कोई देरी नहीं होती है" और फिर भी मामले को 16 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद, जब 16 दिसंबर 2020 को कार्यवाही शुरू हुई और सीएजी द्वारा दायर प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड में लिया गया, तो रिट याचिकाओं की सुनवाई को फिर से 8

अप्रैल 2021 तक के लिए टाल दिया गया। घटनाओं का यह क्रम इंगित करता है कि ' रेखा मिश्रा, राजमल और राधेश्याम वर्मा, "भारत में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली के निर्धारकः एक अनुभवजन्य अध्ययन "। अर्थशास्त्र और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम। 51 , अंक संख्या 43,22 अक्टूबर, 2016।

क्रम में समय-सीमा निर्धारित करने के पीछे का पूरा उद्देश्य और उद्देश्य दिनांक 20 सितंबर 2019 को हारने का खतरा था। इस न्यायालय को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 20 सितंबर 2019 को उच्च न्यायालय के समक्ष हुई समझ की पवित्रता को विधिवत बनाए रखा जाए। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण जनहित तत्व है कि राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्क्रो खाते में जमा किए जाने वाले धन को विधिवत जमा किया जाए। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. को उपचार के बिना नहीं छोड़ा गया है। एस्क्रो खाते में जमा राशि को उस रूप में बनाए रखना होगा और ऐसे आदेशों का पालन करना होगा जो एन. सी. एल. ए. टी. या किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा, रियायत समझौते मध्यस्थता समझौते के तहत राहत पाने के लिए एक स्पष्ट उपाय प्रदान करते हैं।

59. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एच. एम. आर. टी. सी. और एच. एस. वी. पी. द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान।

17 जून 2019 के समाप्ति नोटिस को चुनौती देने के लिए, और तेजी से मेट्रो संचालन की समाप्ति के परिणाम को रोकने के लिए, जो नोटिस अवधि की समाप्ति पर हुआ होगा। रियायत समझौतों का मध्यस्थता खंड उन उपायों के लिए पर्याप्त सहारा प्रदान करता है जिनका लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, 4 अक्टूबर 2019 के उच्च न्यायालय के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बकाया ऋण का 80 प्रतिशत जमा करने के बाद शेष विवाद, जो या तो कैग रिपोर्ट से उत्पन्न होता है, दोनों पक्षों द्वारा जारी समाप्ति नोटिसों की वैधता और किसी भी पिछले या भविष्य के दावों और देनदारियों को उत्तेजित किया जाएगा और मध्यस्थता कार्यवाही में तय किया जाएगा। जिस आदेश को हम पारित करने का प्रस्ताव करते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय के बीच विवाद पक्षकारों को कानून के अनुसार अपने अधिकारों और उपचारों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान करके तैयार किया जाएगा।

एफ निष्कर्ष 60. हम तदनुसार निम्नलिखित के संदर्भ में अपीलों का निपटारा करते हैं।

दिशा निर्देश:

एचएसवीपी तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर होगा।

((i)

आर. एम. जी. एल. के मामले में 23 जून 2020 की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निर्धारित किए गए देय ऋण का 80 प्रतिशत एस्क्रो खाते में वर्तमान निर्णय जमा का और

आर. एम. जी. एस. एल. क्रमशः; पी. आई. डी. मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड। ईटीसी. वी. हरियाणा रैपिड ट्रांस. कॉर्प। लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((ii) एस्क्रो खाते में जमा राशि जारी रहेगी।

एस्क्रो में बनाए रखा जाता है, किसी भी आदेश के अधीन जो हो सकता है

एन. सी. एल. ए. टी. या किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पारित,

और एस्क्रो बैंक द्वारा इसके बिना विनियोजित नहीं किया जाएगा विशिष्ट अनुमति;

(iii) एक ओर आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. और दूसरी ओर एच. एस. वी. पी.

अन्य, अपने अधिकारों और उपचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं

में निहित मध्यस्थता खंड का अनुसरण

के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर रियायत समझौते की वैधता सहित मध्यस्थता समझौते की सीमा

समाप्ति की सूचना, किसी भी अतीत या भविष्य के दावों के बीच

और उच्च न्यायालय के आदेश में परिकल्पित देनदारियाँ दिनांक 20 सितंबर 2019,4 अक्टूबर 2019 को संशोधित किया गया

और 15 अक्टूबर 2019;

((iv) दिनांकित उच्च न्यायालय के आदेश के खंड (v) के संदर्भ में

20 सितंबर 2019, के बारे में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में

के. ए. जी. रिपोर्ट की शुद्धता, के संबंध में

देय ऋण का निर्धारण, किसी भी पक्ष को होगा

मध्यस्थता के दौरान विवाद उठाने की स्वतंत्रता

कार्यवाही;

(v) उपरोक्त (i) में निहित निर्देशों का पालन करने पर,

आर. एम. जी. एल. और आर. एम. जी. एस. एल. निष्पादित करेंगे और एच. एस. वी. पी. को सौंप देंगे।

सभी दस्तावेज जो प्रभावी होने के लिए आवश्यक हैं

एच. एस. वी. पी. को संचालन, रखरखाव और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण या

के दायित्व को पूरा करने की दृष्टि से उनके नामांकित व्यक्ति

रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 में रियायत पाने वाले

20 सितंबर 2019 को उच्च न्यायालय का आदेश, 4 अक्टूबर 2019 और 15 अक्टूबर 2019 को संशोधित; और

(vi)

द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाएँ

उत्तरदाताओं का निपटारा किया जाएगा।

61. वर्तमान निर्णय किसी भी चल रही जांच को प्रभावित नहीं करेगा।

आई. एल. एंड. एफ. एस. समूह की कंपनियों के संबंध में लघु कार्यवाही।

पंखुड़ियों का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाएगा। वहाँ नहीं होगा

लागतों के बारे में।

62. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों का

निपटारा किया गया।

जैन